घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 245- सोमवार 06- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पद्म विभूषण तीजन बाई पंचतत्व में विलीन

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

13 साल की उम्र में शुरू किया था पंडवानी गायन

रायपुर,05 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। वे 70 साल की थीं। उन्होंने शनिवार रात 3.15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रविवार सुबह 11 बजे तीजन बाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक में नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को सुनाने की प्रेरणा उन्हें नाना से मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।' छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पंडवानी के जरिए उन्होंने देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन किया।

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह,एसपी विजय अग्रवाल,शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,विधायक ललित चंद्राकर,विधायक डोमलाल कोर्सेवाड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

भूपेश बघेल बोले... एक महान कलाकार आज विदा हो गया

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद्म विभूषण तीजन बाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गनियारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनसे जुड़ी पुरानी यादें साझा कीं। भूपेश बघेल ने कहा कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तब साइकिल से पंडवानी सुनने जाया करते थे। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्भुत कला से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाई।

राज्यपाल रमेन डेका ने पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया...

राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की अमर स्वर-कोकिला,पद्म विभूषण से सम्मानित एवं विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का निधन केवल लोककला जगत ही नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी अद्वितीय गायन शैली,असाधारण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ट पहचान दिलाई। लोककला के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपना संपूर्ण जीवन लोककला की साधना, संरक्षण और संवर्धन को समर्पित किया। उन्होंने पंडवानी जैसी समृद्ध लोक परंपरा को विश्व मंच तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। उनका व्यक्तित्व,कला-साधना और सांस्कृतिक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। राज्यपाल ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों,उनके असंख्य प्रशंसकों और समस्त लोककला जगत को इस गहन दु:ख को सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान करें।

नाना को सुनकर गाने के प्रति लगाव बढ़ा

तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के गनियारी गांव में हुआ था। वे पारधी समुदाय से थीं। देश-विदेश में पंडवानी लोक गायिकी को पहचान दिलाने वाली तीजन की जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा। इसी गायिकी की वजह से उन्हें समाज ने बेदखल कर दिया था। समाज से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। उनके पिता का नाम चुनुकलाल और माता का नाम सुखवती था। तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते-सुनाते देखतीं थी। धीरे-धीरे उन्हें ये कहानियां याद हो गई। उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर गायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं,जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजनबाई वे पहली महिला थीं,जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी की।

सांसद पप्पू यादव के बिगड़े बोल

पटना,05 जुलाई 2026। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान लोगों से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव या फिर भ्रष्ट अधिकारी की शह पर पुलिस वाले कभी लोगों की कमर में पिस्टल लगा रहे हैं तो कभी एनकाउंटर कर डालते हैं। पप्पू यादव का यह बयान उस वक्त आया है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ पुलिसवाले जबरन एक शख्स की कमर में पिस्टल लगाते हुए दिखे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद पप्पू यादव के पुलिस को गुंडा बताया। उन्होंने कहा,'बिहार पुलिस की कार्यशैली अब आतंकवादी प्रवृत्ति वाली हो गई है। पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। पुलिस मुख्यालय में रावण और कंस जैसे लोग बैठ गए हैं। राजनीतिक द्वेष के कारण पुलिस निर्दोष लोगों को पीट रही है, गोली मार रही है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है।'भरत तिवारी मामले पर मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचने का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा,'नाटक करने से क्या फायदा होगा? 20 साल नाटक कर लिए, लेकिन किसी को न्याय मिला। यह पूरा खेल उच्च जाति के लोगों का है, क्योंकि ब्राह्मणों का एनडीए से मोहभंग हो गया है। ब्राह्मण समाज अब क्रोधित है। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजे के रूप में कम से कम एक करोड़ रुपए देना चाहिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर न्याय दिलाना है तो सीएम सीबीआई जांच करवाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजद के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव के विदेशी दौरे पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजद अब लालू प्रसाद यादव वाली नहीं रही। भाजपा को नई वाली राजद पसंद है,क्योंकि उन्हें लगता है कि नई राजद को जिंदा रहने दो और खुद भी जिंदा रहो। लालू यादव की सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वे पूर्व में सीएम रहे हैं तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए।

बंगाल में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मारक में तोड़फोड़,125 वीं जयंती से पहले बढ़ा सियासी विवाद

पश्चिम बंगाल,05 जुलाई 2026। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान देशभक्त और प्रख्यात शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। पूरे देश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी उनकी जयंती को लेकर काफी उत्साह है और विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। लेकिन इस गौरवपूर्ण अवसर से ठीक एक दिन पहले राजधानी कोलकाता से एक बेहद दुःखद और आक्रोश पैदा करने वाली खबर सामने आई है। कोलकाता के सुकिया स्ट्रीट इलाके में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 'गोपाल पाठा' (गोपाल मुखर्जी) की नवनिर्मित प्रतिमाओं के चबूतरे को अज्ञात उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। इस घटना ने पूरे राज्य की राजनीतिक फिजा में तनाव पैदा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार,भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सुकिया स्ट्रीट पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपाल मुखर्जी की दो

भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। इन प्रतिमाओं का औपचारिक अनावरण सोमवार, 6 जुलाई को डॉ. मुखर्जी की 125 वीं जयंती के पावन अवसर पर किया जाना था। लेकिन,अनावरण से ठीक पहले ही असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों के नीचे बनाए गए चबूतरे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही, इन प्रतिमाओं पर लगी पट्टिकाओं को भी तोड़ दिया गया। गनीमत यह रही कि प्रतिमाएं सुरक्षित हैं,लेकिन चबूतरे और आसपास के ढांचे को हुई क्षति ने स्थानीय लोगों की भावनाओं को गहरा आहत किया है। रविवार, 5 जुलाई की सुबह जब स्थानीय लोगों ने प्रतिमाओं के चबूतरे को टूटा हुआ देखा,तो वहां हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और टूटे हुए मलबे तथा पट्टिकाओं को हटवाकर जगह की साफ-सफाई करवाई। इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी नाराजगी है और वे दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

यूजी कोर्सेज में दाखिले के लिए 1.42 लाख से अधिक छात्रों ने किया रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली,05 जुलाई 2026। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक प्रवेश के लिए छात्रों में काफी उत्साह है। विश्वविद्यालय के अनुसार, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के पहले चरण में अब तक 1,42,733 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, दूसरे चरण की शुरुआत के बाद 43,547 छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का चयन कर चुके हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि सीएसएएस का दूसरा चरण 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। छात्र 11 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का विकल्प भर सकते हैं। इस साल ष्ठ के 67 कॉलेजों में 73 यूजी कोर्स और 100 से ज्यादा बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन के तहत 71 हजार से अधिक सीटों पर दाखिला होगा। 12 जुलाई को छात्रों की सिम्युलेटेड रैंक जारी होगी। इसके बाद 13 जुलाई तक वे अपनी पसंद में बदलाव कर सकेंगे। पहली सीट आवंटन सूची 16 जुलाई को आएगी। सीट मिलने पर 18 जुलाई तक उसे स्वीकार करना होगा। दूसरी सीट आवंटन सूची 25 जुलाई को जारी होगी, जबकि नया शैक्षणिक सत्र 28 जुलाई 2026 से शुरू होगा।

उन्नाव में मंदिर परिसर में बीजेपी नेता की हत्या,बेटे पर गंभीर आरोप,जांच जारी

उन्नाव,05 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक अत्यंत विचलित करने वाली और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। औरास थाना क्षेत्र के चमारन खेड़ा गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। मृतक 58 वर्षीय प्रमोद,जो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अनुसूचित जाति मोर्चा के औरास मंडल अध्यक्ष थे,को उस समय अपना जीवन गंवाना पड़ा जब वे अपने ही घर के पास स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे थे। इस सनसनीखेज वारदात ने न केवल इलाके में दहशत फैला दी है, बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है।

मंदिर में पूजा के दौरान हुआ वीभत्स हमला

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार,घटना शनिवार शाम की है। प्रमोद प्रतिदिन की भांति अपने घर के पास बने मंदिर में दीपक जलाने गए थे। इसी दौरान, उनका बड़ा बेटा सोनेलाल वहां पहुंचा और पीछे से कुल्हाड़ी से पिता पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। वार इतना घातक था कि प्रमोद ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते या बचाव का प्रयास करते,आरोपी ने पिता की जान ले ली थी। इस अमानवीय कृत्य के बाद गांव में मातम का माहौल छा गया और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला।

पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव बना हत्या की वजह

मृतक के परिजनों ने घटना के पीछे की पृष्ठभूमि के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। आरोपी सोनेलाल,जो करीब दस दिन पहले ही चंडीगढ़ से लौटा था,पिछले काफी समय से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। दरअसल,लगभग आठ वर्ष पूर्व उसकी पत्नी कृष्णावती उसे छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। सोनेलाल इस पारिवारिक बिखराव के लिए अपने माता-पिता को दोषी मानता था,जिससे उसके मन में गहरा आक्रोश पनप गया था।

CMYK

संपादकीय

फरार अपराधी,सवालों के घेरे में व्यवस्था और कानून की परीक्षा

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि कानून अपराधी से अधिक शक्तिशाली दिखाई दे। लेकिन जब किसी बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास का सजायाफ्ता दोषी वर्षों तक दूसरे राज्य के एक शहर में कथित रूप से रह सके और उसकी तलाश में आई पुलिस के सामने भी फरार हो जाए,तो सवाल केवल एक आरोपी पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर खड़े होते हैं।

झारखंड के चर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड के सजायाफ्ता दोषी साबिर आलम की अंबिकापुर में कथित मौजूदगी और उसके बाद हुए घटनाक्रम ने कई ऐसे प्रश्न छोड़ दिए हैं, जिनका उत्तर केवल पुलिस जांच ही दे सकती है। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी,लेकिन इतना निश्चित है कि इस घटना ने अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय,स्थानीय खुफिया तंत्र,फरार अपराधियों की निगरानी और कानून-व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आरोपी भाग गया, बल्कि यह है कि यदि वह वास्तव में लंबे समय से अंबिकापुर में रह रहा था तो क्या उसकी पहचान,गतिविधियां और संपर्क किसी भी एजेंसी की नजर में नहीं आए? यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल स्थानीय पुलिस ही नहीं,बल्कि पूरे सूचना तंत्र की समीक्षा का विषय है।

घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू झारखंड और सरगुजा पुलिस के बीच समन्वय का है। एक पक्ष का कहना है कि ऑपरेशन की गोपनीयता आवश्यक थी,जबकि दूसरा पक्ष पहले से सूचना न मिलने की बात कह रहा है। दोनों तर्क अपने-अपने स्थान पर उचित हो सकते हैं,लेकिन अंततः उद्देश्य एक ही होना चाहिए था–सजायाफ्ता अपराधी की गिरफ्तारी। यदि समन्वय की कमी से आरोपी फरार हुआ है तो भविष्य के लिए यह गंभीर सबक है।

घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर अनेक प्रकार की चर्चाएं और आरोप भी सामने आए हैं। कुछ लोगों ने कथित संरक्षण,स्थानीय सहयोग,परिवहन नेटवर्क और पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप और साक्ष्य दोनों अलग-अलग विषय हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि किसी ने वास्तव में फरार अपराधी को शरण दी, गिरफ्तारी में बाधा पहुंचाई अथवा कानून से बचाने का प्रयास किया है, तो उसकी पुष्टि निष्पक्ष जांच और ठोस साक्ष्यों से ही होनी चाहिए।

यह घटना एक और बड़ी वास्तविकता की ओर संकेत करती है। आज अपराध की सीमाएं राज्यों की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं। गंभीर अपराधों में वांछित आरोपी अक्सर दूसरे राज्यों में नई पहचान बनाकर रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे में राज्यों के बीच सूचना का त्वरित आदान-प्रदान, साझा डाटाबेस, तकनीकी निगरानी और संयुक्त अभियान समय की आवश्यकता बन चुके हैं। अंबिकापुर जैसे शांत शहर का नाम यदि किसी ऐसे प्रकरण में सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से आम नागरिकों की चिंता बढ़ती है। लोगों की अपेक्षा केवल इतनी है कि क्षेत्र में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों का नियमानुसार सत्यापन हो, संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाए और कानून के पालन में किसी प्रकार का पक्षपात दिखाई न दे।

इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है। जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यदि स्थानीय सहयोग, पुलिस कार्रवाई में बाधा या किसी प्रकार के संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि लगाए गए आरोप निराधार सिद्ध होते हैं तो यह भी उतनी ही स्पष्टता से सामने आना चाहिए।

अंततः यह मामला केवल एक फरार अपराधी की तलाश का नहीं है। यह कानून के प्रति समाज के विश्वास,पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता की परीक्षा है। जनता को आरोप नहीं,सत्य चाहिए; अटकलें नहीं,प्रमाण चाहिए;और सबसे बढ़कर यह भरोसा चाहिए कि कानून का हाथ चाहे जितनी देर से पहुंचे,लेकिन किसी भी अपराधी तक अवश्य पहुंचे। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।

श्री राम की दृष्टि में न्याय सर्वोपरि है...

–संजय गोस्वामी,अनुशक्तिनगर,मुंबई

भगवान श्री राम को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्वीकार करके,जीवन के हर संदर्भ में,जीवन के हर चरण में उनके स्वाभाविक स्वभाव को आत्मसात करके, राम के समान कर्तव्यों का पालन करके,परिवार और समाज में रहकर और प्रत्येक कर्तव्य को पूरा करके,एक व्यक्ति आसानी से धीरे-धीरे आत्म-ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रामायण के प्रभाव की खोज करने वाले शोध कार्य आम तौर पर एक मार्गदर्शक नैतिक ढांचे के रूप में इसकी भूमिका, सामाजिक मूल्यों पर इसके प्रभाव और पूरे एशिया में इसके गहन सांस्कृतिक प्रसारण पर केंद्रित होते हैं। विद्वान जांच करते हैं कि महाकाव्य कैसे व्यक्तिगत नैतिकता को आकार देता है,नेतृत्व को प्रेरित करता है,और साझा पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से विविध समाजों को एकजुट करता है। सहचर्य और दान के प्रति उनका निरंतर उत्साह,साथ ही अपने मित्रों के प्रति उनकी निष्ठा असाधारण है। वे अपने गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी थे। उनकी गंभीरता,आचरण की पवित्रता,सद्गुणों में रुचि,शास्त्रों का ज्ञान,रूप की सुंदरता और भगवान हरि के प्रति उनकी भक्ति उल्लेखनीय है। इसलिए,बुद्धिमानों में महाकाव्यों के विषय के रूप में श्री राम से बढ़कर कोई महान व्यक्तित्व नहीं है~ विनम्रता, करुणा, ज्ञान, उद्देश्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर प्रभुत्व–ये छह सिद्धांत राघवेंद्र राम की महिमा करते हैं। रूप के सभी भेद,जैसे कि कृपा,आभा,छवि,रंग,चरित्र, लालित्य,कुलीनता, भाग्य, जुनून आदि,केवल राम के संदर्भ में ही चमकते हैं। भगवान राम ने माता सीता का त्याग राजधर्म और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों (लोकापवाद) के कारण किया था अयोध्या के राजा के रूप में उनका यह मानना था कि एक शासक के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर राज्य की मर्यादा और प्रजा की संतुष्टि होनी चाहिए एक राजा को प्रजा की रक्षा के लिए क्रूर,निर्दयी, और सद्गुणहीन होना पड़ सकता है। वाल्मीकि रामायण में, राम को ब्राह्मणों के पुरोहित के रूप में वर्णित किया गया है,जिनकी पूजा ब्राह्मण ही करते हैं;हालांकि,जब ब्राह्मणों द्वारा घायल हुई भावना को दंडित करना न्यायसंगत था,तो राम को न्याय का पालन करना पड़ा,क्योंकि उनकी दृष्टि में न्याय सर्वोपरि है। इसी प्रकार, जब परशु राम, जो इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार कर चुके ब्राह्मण थे,ने राम से क्षत्रिय धर्म का पालन करने का आग्रह किया, तो राम ने कहा,मुझे दुर्बल और अयोग्य समझकर तुमने क्षत्रिय पराक्रम का अपमान किया है। अतः, मेरी योग्यता देखो। उन्होंने धनुष उठाया और घोषणा की,तुम मेरे लिए पवित्र हो,क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और विश्वामित्र की बहन सत्यवती के पुत्र हो। इसलिए,मैं तुम पर घातक बाण नहीं चला सकता,परन्तु मैं तुम्हारे दैवीय पद और तुम्हारे तपस्वियों द्वारा प्रदत्त लोकों को नष्ट कर दूंगा। फिर भी, जब राम को धर्म का पालन करने की दुविधा का सामना करना पड़ा,तो उन्होंने अधर्मी शूद्र शंबुका का वध करके ब्राह्मण के पुत्र को पुनर्जीवित किया। इसी प्रकार,उन्होंने अधर्मी ब्राह्मण रावण का वध करके समस्त मानव जाति को जीवनदान दिया। अपने माता-पिता के आदेशों का पालन करते हुए, वे प्रसन्नतापूर्वक वनों में रहने लगे और राज्य का त्याग कर दिया,मानो वह मात्र एक विशेषाधिकार हो–सबसे तुच्छ। जब प्रिय लक्ष्मण ने कैकेयी की उचित आलोचना की, तो राम ने कहा,मेरी माता कैकेयी,दोष मत लगाओ,भरत की बात करो। राम धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं और अतिराधों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे शत्रु सेना पर आक्रमण करने में सक्षम और कुशल सेनापति हैं। युद्ध के मैदान में क्रोधित देवता और राक्षस भी उन्हें क्षति नहीं पहुँचा सके। इन सबके बावजूद, उन्होंने कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं की और न ही क्रोधित हुए। श्री राम को ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और शस्त्रों का वरदान प्राप्त था। यदि वे चाहते,तो उनका उपयोग करके वे उन सभी को सहजता से मार सकते थे,लेकिन राम ने कभी उनका उपयोग नहीं किया। एक बार लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की अनुमति मांगी,लेकिन श्री राम ने कहा,केवल एक राक्षस के लिए उन सभी राक्षसों को मारना उचित नहीं है जो युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो भेस बदले हुए हैं,शरण मांग रहे हैं,तैयारी कर रहे हैं,भाग रहे हैं और मदमस्त हैं। क्या इन आदर्शों का पालन करके आज भी मानवता शांति से नहीं रह सकती? राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

–सम्पादक

तीजन बाई : एक स्वर का मौन,एक परंपरा की अमर गूंज

राज नारायण द्विवेदी

तंबूरे की थाप थम गई... पर अमर हो गई...पंडवानी की स्वर-साधना...

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

5 जुलाई 2026 भारतीय लोकसंस्कृति के इतिहास में एक ऐसी तिथि बन गई,जिसे लंबे समय तक स्मरण किया जाएगा। इस दिन पंडवानी की विश्वविख्यात साधिका,पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के साथ केवल एक कलाकार की जीवन-यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि भारतीय लोक परंपरा का एक जीवंत अध्याय इतिहास का हिस्सा बन गया।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी लोक परंपराएँ हैं। वे न किसी विश्वविद्यालय में जन्म लेती हैं,न किसी राजदरबार में;उनका उद्भव जनजीवन की मिट्टी में होता है। तीजन बाई उसी मिट्टी की संतान थीं। उन्होंने सिद्ध किया कि लोककला यदि साधना और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की जाए,तो वह गाँव की चौपाल से निकलकर विश्व के प्रतिष्ठित मंचों तक पहुँच सकती है।

पंडवानी केवल महाभारत की कथा नहीं है,यह भारतीय लोकमानस की स्मृति,संवेदना और सांस्कृतिक चेतना की मौखिक परंपरा है। तीजन बाई ने इसे केवल गाया नहीं,बल्कि जिया। उनके हाथ का तंबूरा कभी भीम की गदा बन जाता, कभी अर्जुन का रथ,तो कभी द्रौपदी के अपमान का मौन साक्षी। उनकी आवाज़ में कथा नहीं, इतिहास बोलता था;अभिनय में केवल भाव नहीं, भारतीय जीवन-दर्शन की अनुभूति होती थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह नहीं थी कि उन्होंने पंडवानी को विश्वभर में लोकप्रिय बनाया। उनका वास्तविक योगदान यह था कि उन्होंने समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ा, जिन्होंने महिलाओं की अभिव्यक्ति पर सीमाएँ लगा रखी थीं। जब महिलाओं के लिए केवल बैठकर गाने की परंपरा थी, तब तीजन बाई ने साहसपूर्वक खड़े होकर कापालिक शैली में पंडवानी प्रस्तुत की। यह केवल कलात्मक प्रयोग नहीं,बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक था।

मैं एक बार तीजन बाई से मिला था वो रामगढ़ महोत्सव में प्रस्तुति देने आई थी। उदयपुर रेस्टहाउस में खाने पीने का व्यवस्था था। मेरे बगल में वो भी खाना निकाल रही थी। उनकी सादगी और सरलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। थोड़ी बहुत बातचीत भी की। उन दिनों स्मार्टफोन सभी के पास नहीं हुआ करता था। इसलिए फोटोग्राफ नहीं लिए। उनकी प्रस्तुति में छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान लोकपरम्परा की झलक मिलती थी।

आज जब नई पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मंचों और त्वरित मनोरंजन के युग में प्रवेश कर रही है,तब तीजन बाई का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी लोकसंस्कृति में बसती है। यदि लोककला समाप्त हो जाएगी,तो हमारी सांस्कृतिक स्मृति भी धीरे-धीरे क्षीण होने लगेगी।

भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री,पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से अलंकृत किया। किंतु सच तो यह है कि उनका सबसे बड़ा सम्मान करोड़ों भारतीयों का प्रेम और वह स्थान है जो उन्होंने लोकमानस में अर्जित किया। पुरस्कार किसी कलाकार की उपलब्धि का प्रमाण हो सकते हैं,किंतु अमरत्व जनता का स्नेह ही देता है। तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं हैं,पर उनका स्वर भारतीय संस्कृति की अनुगूंज बनकर सदैव सुनाई देता रहेगा। जब भी कहीं पंडवानी की कथा गूँजेगी, जब भी कोई कलाकार लोक परंपरा को नए आत्मविश्वास के साथ मंच पर जीवित करेगा,तब तीजन बाई की स्मृति अनायास उपस्थित होगी। किसी कलाकार का निधन उसकी कला का अंत नहीं होता। सच्चा कलाकार अपने शरीर से नहीं,अपनी साधना से जीवित रहता है। तीजन बाई भी अपनी कला, अपने स्वर और अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी।

जब कमाई रिश्तों से बड़ी हो जाए

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

भारतीय समाज में परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, साझेदारी और पारस्परिक उत्तरदायित्व की एक जीवंत संस्था रहा है। इस संस्था की सबसे बड़ी शक्ति यह रही कि इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते थे। समय बदला, शिक्षा का विस्तार हुआ, महिलाओं की भागीदारी घर की चौखट से निकलकर शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, न्याय, सेना, विज्ञान और उद्योग तक पहुँची। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया, निर्णय लेने की क्षमता दी और उन्हें सामाजिक सम्मान भी दिलाया। यह परिवर्तन न केवल आवश्यक था,बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी था।

लेकिन हर सामाजिक परिवर्तन अपने साथ नई चुनौतियाँ भी लेकर आता है। आज जब परिवारों में पति-पत्नी दोनों कमाने लगे हैं, तब आर्थिक साझेदारी के साथ जिम्मेदारियों की साझेदारी का प्रश्न पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दुर्भाग्य से अनेक परिवारों में यह संतुलन बिगड़ता दिखाई देता है। कहीं अधिकारों पर अधिक जोर है तो कहीं कर्तव्यों की उपेक्षा। परिणामस्वरूप रिश्तों में वह सहजता और अपनापन कम होता जा रहा है जो कभी संयुक्त परिवारों की पहचान हुआ करता था।

लंबे समय तक भारतीय समाज में पुरुष को परिवार का आर्थिक आधार माना गया। उसकी कमाई पर पत्नी, बच्चों और माता-पिता का नैतिक अधिकार समझा जाता था। वह अपनी आय को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की पूंजी मानकर चलता था। दूसरी ओर, महिलाओं का योगदान घरेलू श्रम, बच्चों के पालन-पोषण और परिवार के संचालन में अधिक दिखाई देता था। आधुनिक समय में परिस्थितियाँ बदली हैं। महिलाएँ भी पुरुषों के समान मेहनत करके आर्थिक योगदान दे रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि आर्थिक जिम्मेदारियाँ भी समान रूप से साझा होंगी। किंतु व्यवहार में कई बार तस्वीर

इतनी सरल नहीं होती।

आज अनेक परिवारों में यह अनुभव सुनने को मिलता है कि पति की आय को अभी भी घर की मुख्य आय माना जाता है, जबकि पत्नी की आय को व्यक्तिगत बचत,व्यक्तिगत निवेश या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का माध्यम समझा जाता है। यह स्थिति हर परिवार में नहीं है, पर जहाँ है, वहाँ असंतोष का कारण बनती है। यदि घर का हर बड़ा खर्च पति वहन करे, लेकिन पत्नी की आय को पारिवारिक उत्तरदायित्व से अलग रखा जाए,तो बराबरी का सिद्धांत अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार यदि पति यह अपेक्षा करे कि पत्नी नौकरी भी करे, घर भी संभाले और आर्थिक निर्णयों में उसकी स्वतंत्रता भी न हो, तो यह भी अन्यायपूर्ण है। समस्या किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि दोहरे मापदंडों की है।

बराबरी का अर्थ केवल समान अधिकार नहीं होता। उसका अर्थ समान उत्तरदायित्व भी होता है। यदि दोनों कमाते हैं तो परिवार की आवश्यकताओं, भविष्य की योजनाओं,बच्चों की शिक्षा,बुजुर्गों की देखभाल और आकस्मिक परिस्थितियों की जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। आर्थिक साझेदारी का अर्थ केवल आय जोड़ना नहीं, बल्कि विश्वास जोड़ना भी है।

समस्या का दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। धन केवल सुविधाएँ नहीं देता, वह आत्मविश्वास भी देता है। लेकिन यही आत्मविश्वास यदि अहंकार में बदल जाए तो रिश्तों में दूरी आने लगती है। कभी-कभी देखा जाता है कि जिसकी आय अधिक होती है, वही निर्णयों पर अपना अधिकार अधिक मानने लगता है। यह प्रवृत्ति पुरुषों में भी दिखाई देती रही है और आज कुछ महिलाओं में भी देखने को मिलती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि आर्थिक अहंकार केवल किसी एक लिंग की समस्या है। धन का अहंकार व्यक्ति को बदलता है, उसका लिंग नहीं।

आज सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में स्त्री-पुरुष संबंधों को अक्सर संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक पक्ष अपने अधिकारों की बात करता है तो दूसरा अपने साथ हुए अन्याय की। इस खींचतान में परिवार,संवाद और साझेदारी पीछे छूट जाते हैं। किसी भी विचारधारा का उद्देश्य यदि संतुलन स्थापित करना है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यदि किसी भी विचार की व्याख्या अधिकारों तक सीमित होकर कर्तव्यों को गौण कर दे,तो समाज में असंतुलन पैदा होना स्वाभाविक है।

यह भी सच है कि आज लाखों महिलाएँ अपनी पूरी आय परिवार पर खर्च करती हैं। वे नौकरी के साथ-साथ घर,बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। अनेक परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पति-पत्नी बिना किसी हिसाब-किताब के अपनी कमाई को साझा करते हैं और निर्णय भी मिलकर लेते हैं। इसलिए किसी एक वर्ग को दोषी ठहराना न तो उचित है और न ही तथ्यपरक। सामाजिक विश्लेषण का उद्देश्य आरोप लगाना नहीं, बल्कि प्रवृत्तियों को समझना और समाधान तलाशना होना चाहिए।

समस्या तब गंभीर हो जाती है जब पति-पत्नी के बीच आर्थिक पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। आय, बचत, निवेश और खर्च यदि अलग-अलग दुनिया बन जाएँ, तो रिश्तों में संदेह जन्म लेने लगता है। आर्थिक गोपनीयता कभी-कभी भावनात्मक दूरी में बदल जाती है। विवाह साझेदारी का संबंध है, व्यापारिक अनुबंध नहीं। इसमें विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है।

आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सुविधाएँ बढ़ी हैं, लेकिन संतोष घटा है। आय बढ़ी है, लेकिन संवाद कम हुआ है। स्वतंत्रता बढ़ी है, लेकिन साझेदारी कमजोर हुई है। पहले परिवार सीमित संसाधनों में भी साथ रहते थे क्योंकि निर्णय सामूहिक होते थे। आज संसाधन अधिक हैं, लेकिन कई बार मेरा और तेरा की मानसिकता रिश्तों को बाँट देती है।

यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या घरेलू श्रम का मूल्य आर्थिक आय से कम है? यदि पत्नी घर संभालती है और पति बाहर कमाता है,तो क्या केवल कमाने वाला ही परिवार चला रहा है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार यदि पत्नी भी नौकरी करती है, तो क्या घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ देना उचित है? इसका उत्तर भी नहीं है। परिवार तभी संतुलित रहेगा जब आर्थिक और घरेलू दोनों प्रकार के श्रम का समान सम्मान होगा।

बच्चों पर भी इस बदलते वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। वे अपने माता-पिता को यदि आर्थिक प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ देखते हैं, तो उनके मन में भी रिश्तों की परिभाषा बदलने लगती है। वे सहयोग से अधिक अधिकारों की भाषा सीखते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह चिंता का विषय है। परिवार केवल वर्तमान नहीं बनाता, भविष्य भी गढ़ता है।

समाधान क्या है? समाधान किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने में नहीं, बल्कि पारिवारिक संवाद को मजबूत बनाने में है। विवाह के बाद पति-पत्नी को आर्थिक अपेक्षाओं, बचत, निवेश, पारिवारिक खर्च और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि दोनों अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार परिवार में योगदान देंगे। किसी की आय कम या अधिक होना सम्मान का पैमाना नहीं बनना चाहिए।

रूप पशुपतिनाथ के...

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
इन्दौर
मध्यप्रदेश

पशुपतिनाथ के दर्शन करके,
मन मंद-मंद मुस्काया है,
हर छवि देखी है भोले की,
और जीवन हर्षाया है।
पशुपतिनाथ के ...
भोले की महिमा के सारे ,
रूप निखरते देखें हैं,
भाव समेटे कितने सारे,
पल-पल लगें अनूठे हैं।
पशुपतिनाथ के ...
मिट्टी के कण-कण में भोले,
छवि तेरी ही दिखती है,
सरगम की हर धुन पर देखो,
राग भोले की फबती है।
पशुपतिनाथ के ....
पग-पग नीर बहे धरती पर,
पेड़ों की बढ़ती है काया,
शिखर,घाटियां इतनी ऊंची,
सृजित हुई भोले की माया।
पशुपतिनाथ के ....
ढूंढ रहे बदली में सूरज,
छुपे हुए ज्यूं भेद हो सारे,
भोले-भोले कहती नगरी,
आसमान में जितने तारे।
पशुपतिनाथ के ....
मन का मयूरा नाच रहा है,
भोले तेरे दर्शन करके,
भक्ति-भाव की भर रही गठरी,
भोले-भोले कहते-कहते।
पशुपतिनाथ के ...

मॉब लीचिंग,भीड़तंत्र का फैसला : सामाजिक संरचना की भीषण विफलता

संजीव ठाकुर,रायपुर छत्तीसगढ़,

सामूहिक भीड़ का कोई मस्तिष्क नहीं होता। उसके द्वारा उन्माद में लिए गए सड़क पर त्वरित फैसले सामाजिक संरचना के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरते हैं और राजकीय संपत्ति के लिए कई बार भारी नुकसान दायक भी होते हैं। भीड तंत्र द्वारा किया गया न्याय राज्य की विफलता है। जो कार्य राज्य की कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, आज उसे भीड़ तंत्र द्वारा किया जा रहा है, यह सार्वभौमिक अवधारणा है कि भीड़ को राजनीति और सत्ता मिलकर पैदा करते हैं, और यही सामूहिक लोगों की भीड़ राज्य के नियंत्रण से मुक्त होकर राज्य के अस्तित्व को चुनौती देने लगती है। और फिर सामने आती है माब लीचिंग।

वर्तमान समाज उपभोक्तावादी हो गया है,आजकल सहयोग तथा सहिष्णुता की भावना तथा समझ लगातार कम होते जा रही है। हम की संयुक्त भावनाओं के बजाए मैं की प्रवृत्ति सामने आने लगी है । और समाज व्यक्ति केंद्रित विकास की ओर अग्रसर हो कर समाज का एक बड़ा तबका विकास के पथ से बहुत पीछे छूट गया है। वस्तुतः एक तरफा वैश्वीकरण तथा साधनों के केंद्रीकरण के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी खुलकर सामने आने लगी है। भारत के 10 प्रतिशत लोगों के पास देश की 58त्न संपत्ति का स्वामित्व है। एवं देश की पूंजी का 70 प्रतिशत भाग 1 प्रतिशत लोगों के अधिकार क्षेत्र में है ।यही कारण है कि भारत में भी फ्रांस एवं रूस की क्रांति जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस मामले में भारत में हर राज्य की भूमिका अलग-अलग तथा भिन्न भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी भीड़ तंत्र को काफी प्रोत्साहित कर रही। बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री लेने के बाद डिग्री धारी लोग बेरोजगारी या अल्प रोजगार के कारण कुंठित हो रहे हैं।

और यही कुंठा बेरोजगारी एवं गरीबी किसी भी घटना को भीड़ तंत्र की ओर खींचती है, फल स्वरूप मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएं सामने आने लगी हैं। दूसरी तरफ कानून का यह मानना है कि न्याय में विलंब न्याय को नकारना है। भारत की न्याय व्यवस्था अपने लंबित मुकदमों तथा प्रकरण के कारण एक तरह से अन्याय को ही जन्म देती है। किसी हत्यारे या बलात्कारी को सजा देने का समय तब आता है, जब आरोपी बहुत बुजुर्ग अथवा मर चुका होता है।

भीड़ तंत्र अस्थाई रूप से समान मूल्यों तथा भावनाओं की पहचान के साथ जुड़े अलग-अलग समूहों के लोगों का शामिल एक बड़ा समूह है। भीड़ की कोई अपनी आंख शक्ल नहीं होती एवं भीड़ की कोई पहचान भी नहीं होती है। इसके उद्देश्य तत्कालिक होते हैं, यह भी हो सकता है कि भीड़ में जो एक क्षण पहले नायक हुआ करता था, वह अगले ही पल उस समूह का पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण है जहां भीड़ ने अपने नेता को पद से हटाकर उसकी विनाश लीला ही रचा दी थी। फ्रांस का शासक रोबेस्पीयर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

सिगमंड फ्रायड के अनुसार भीड़ में व्यक्ति अपने सारे मूल्य खोकर आदिम काल में पहुंच जाता है, और भीड़ में कोई धर्म नहीं रह जाता है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की लेटलतीफी के कारण भीड़ को कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन कर किसी विशेष धर्म के लोगों को खानपान तथा व्यंजन के आधार पर कथित लोगों द्वारा किसी को भी निशाना बना कर उसकी हत्या कर दी जाती है, यह देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्य जनक है। रही सही कसर सोशल मीडिया पूरा कर रहा है, फर्जी समाचार तथा राजनीतिक नियंत्रण के कारण सोशल मीडिया कई बार किसी विशेष वर्ग के द्वारा राजनीतिक संरक्षण में संचालित किया जा रहा है। लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा चौथा स्तंभ मीडिया भी जन जागरूकता के प्रचार प्रसार के बजाय घटनाओं को धर्म तथा वर्ग के आधार पर विशेष वर्ग के हितों को प्रचारित प्रसारित करता है, जो इस आदिम कॉल की व्यवस्था को पुष्पित पल्लवित करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग सामाजिक विकास न्याय के स्थान पर अन्याय प्रकृति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। मॉब लिंचिंग के कारण समाज में आम हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी है,इससे समाज की संस्कृति को दीर्घकालिक क्षति होगी। इस तरह भीड़ तंत्र के द्वारा की गई हिंसक घटनाओं तथा हत्या से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख की गिरावट भी होती है, एवं आर्थिक क्षेत्र में निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हिंसक घटनाओं से पलायन तथा संसाधनों के विकास पर बाधा पड़ने से सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है।

वन अधिकार पत्र की आड़ में पहाड़ों पर जेसीबी! मानिकप्रकाशपुर-क्रांतिप्रकाशपुर की हरियाली पर माफियाओं की नजर.....

मुरम-पत्थर के कथित अवैध उत्खनन से बदल रहा पहाड़ों का स्वरूप,समतल जमीन पर कब्जे की भी चर्चा,विभागों की चुप्पी सवालों के घेरे में...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर से महज सात किलोमीटर दूर दरिमा रोड स्थित मानिकप्रकाशपुर और क्रांतिप्रकाशपुर की हरी-भरी पहाड़ियां इन दिनों तेजी से बदलते भू-दृश्य के कारण चर्चा में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की आड़ में जेसीबी मशीनों से पहाड़ों की कटाई कराई जा रही है। पहाड़ों से निकाले जा रहे मुरम और पत्थर का व्यावसायिक उपयोग किए जाने तथा समतल की गई जमीन पर कब्जे दिलाने का खेल भी चलने की बात कही जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग आदिवासी परिवारों को यह समझाकर सहमत कर रहे हैं कि पहाड़ी समतल होने पर मकान बनाना और खेती करना आसान होगा। इसी तर्क के सहारे बड़े पैमाने पर पहाड़ों की खुदाई की जा रही है। सवाल यह है कि यदि जमीन समतल करना ही उद्देश्य है,तो फिर बड़ी मात्रा में निकलने वाला मुरम और पत्थर आखिर कहां जा रहा है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहाड़ों से निकाला गया मुरम और पत्थर शहर में निर्माण कार्यों के लिए बेचा जा रहा है। यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है तो मामला केवल पर्यावरणीय क्षति तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि खनिज संपदा के अवैध दोहन का गंभीर मामला भी बनेगा। इसके बावजूद अब तक वन विभाग,खनिज विभाग और राजस्व विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है।

वन अधिकार पत्र की भी हो जांच...

ग्रामीणों का कहना है कि जिन पहाड़ियों पर वर्षों तक वास्तविक कब्जा नहीं था, वहां वन अधिकार पत्र किस आधार पर जारी किए गए,इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि अधिकार पत्रों का उपयोग केवल संरक्षण और आजीविका के बजाय व्यावसायिक उत्खनन या अवैध कब्जे के लिए किया जा रहा है,तो यह कानून की मंशा के विपरीत माना जाएगा।

पर्यटन की संभावनाओं पर भी खतरा...

दरिमा रोड से मानिकप्रकाशपुर तक का इलाका प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और पहाड़ी श्रृंखलाओं के कारण विशेष पहचान रखता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन की भी अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में यह प्राकृतिक धरोहर गंभीर संकट में पड़ सकती है।

सवालों के घेरे में विभागीय निगरानी : सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेसीबी मशीनों से हो रही कथित कटाई कोई छिपी हुई गतिविधि नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने वाले राजस्व अमले, वन विभाग और खनिज विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? यदि जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और यदि जानकारी नहीं थी तो फिर विभागीय निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

पहले भी खो चुके हैं कई पहाड़ : स्थानीय लोग याद दिलाते हैं कि महामाया पहाड़,नवागढ़ और बधियाचुआ जैसे क्षेत्रों में भी समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण अतिक्रमण और अवैध दोहन ने प्राकृतिक स्वरूप को काफी नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि यदि मानिकप्रकाशपुर और क्रांतिप्रकाशपुर में भी अभी सख्ती नहीं बरती गई, तो यहां भी वही स्थिति बन सकती है।

उठ रही प्रमुख मांगें : स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की संयुक्त जांच कराई जाए। यदि वन अधिकार अधिनियम की आड़ में पहाड़ों की अवैध कटाई,मुरम-पत्थर का व्यावसायिक उत्खनन अथवा भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

पद्म विभूषण तीजन बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि,संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जताया गहरा शोक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई का रविवार तड़के रायपुर एम्स में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल रत्न खो दिया है। अपने शोक संदेश में मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि तीजन बाई केवल एक लोक कलाकार नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान की सशक्त प्रतीक थीं। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, दमदार प्रस्तुति और समर्पण से पंडवानी जैसी लोकविधा को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। दुर्ग जिले के गनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई ने बेहद साधारण परिस्थितियों से निकलकर अपनी कला के दम पर विश्वभर में पहचान बनाई। उन्होंने पारंपरिक शैली से अलग कापालिक शैली में पंडवानी प्रस्तुत कर इस लोकविधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें बड़े मंचों तक पहुंचाया,जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जापान,जर्मनी, तुर्की सहित 17 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। लोककला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री,संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,पद्म भूषण और वर्ष 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देशभर के जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और साहित्यकारों ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय लोकसंस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया।

पांच दिन से लापता नाबालिग बस स्टैंड से मिला

साइबर सेल ने तकनीकी सहायता से कुछ घंटों में किया दस्तयाब,परिजनों को सौंपा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर जाने की बात कहकर घर से निकला और पांच-छह दिनों से लापता नाबालिग को सरगुजा पुलिस की साइबर सेल ने नया बस स्टैंड से सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार परिजन ने साइबर सेल पहुंचकर बताया था कि उनका नाबालिग पुत्र अंबिकापुर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन कई दिनों से वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर साइबर सेल ने तत्काल तकनीकी सहायता से उसकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान कुछ ही घंटों में नाबालिग को नया बस स्टैंड अंबिकापुर से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। इसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। नाबालिग के सकुशल मिलने पर परिजनों ने सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा सहित साइबर टीम के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शराब पीकर कार चलाना पड़ा महंगा चालक पर 10 हजार का जुर्माना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब के नशे में कार चलाते पाए गए चालक पर कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूजे 9516 को रोका गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम सोमेश कुमार मिश्रा (30), निवासी बालको, जिला कोरबा बताया। मौके पर चालक शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर जांच में भी नशे की पुष्टि हुई। इसके बाद चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

250 से अधिक हितग्राहियों को साइबर सुरक्षा का पाठ,सरगुजा पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान...

क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन के सीएसआर इकार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता के साथ ऑनलाइन ठगी से बचाव की दी जानकारी,1930 हेल्पलाइन का बताया महत्व

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने और लोगों को सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम में व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में 250 से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हितग्राहियों ने भाग लेकर ऑनलाइन ठगी से बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी प्राप्त की। क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता एवं साइबर अपराध से सुरक्षा विषय पर विशेष सत्र रखा गया। इस दौरान सरगुजा पुलिस की साइबर सेल टीम ने उपस्थित हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम से होने वाली ठगी,फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, ओटीपी और बैंकिंग फ्रॉड सहित विभिन्न

साइबर अपराधों के तरीकों से अवगत कराया तथा उनसे बचने के व्यावहारिक उपाय बताए। साइबर सेल की टीम ने हितग्राहियों से अपील की कि वे अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पासवर्ड, ओटीपी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऑनलाइन लेनदेन की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर ठगी गई राशि को फ्रीज कराया जा सके। कार्यक्रम में साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, साइबर विशेषज्ञ आरक्षक अनुज जायसवाल, भारत भूषण शर्मा, बलराम (डिवीजनल मैनेजर), टिकम प्रसाद साहू, शबलवीर वर्मा (एरिया मैनेजर), कलेश पटेल (एरिया मैनेजर),ओम प्रकाश पटेल (सीनियर ब्रांच मैनेजर),राकेश कुमार (ब्रांच मैनेजर) सहित बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सरगुजा पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने, डिजिटल सुरक्षा अपनाने और साइबर अपराध होने पर बिना देरी किए शिकायत दर्ज कराने का संदेश दिया।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सरगुजा पुलिस का 'एकता वृक्ष अभियान', थाना-चौकियों में हुआ वृहद वृक्षारोपण

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में लगाए गए फलदार और छायादार पौधे,पर्यावरण संरक्षण व एकता का दिया संदेश

संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरगुजा पुलिस ने 'एकता वृक्ष अभियान' के तहत जिलेभर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में सभी थाना-चौकी परिसरों और पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश दिया। अभियान के तहत पूर्व में सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों

को अपने-अपने परिसर में व्यापक स्तर पर पौधरोपण करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में जिले के सभी थाना-चौकी और पुलिस लाइन में एक साथ वृक्षारोपण किया गया। अभियान का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना ही नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना, पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास का रिश्ता सुदृढ़ करना तथा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना भी रहा। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौतियों का प्रभाव भी कम किया जा सकता है।

एकता वृक्ष अभियान के दौरान जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। सभी ने पौधों की सुरक्षा और संरक्षण का संकल्प लेते हुए समाज को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित वातावरण देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दो मामलों में फरार वारंटी गिरफ्तार सीतापुर पुलिस ने न्यायालय में किया पेश

चोरी व हत्या के प्रकरण में जारी था गिरफ्तारी और स्थायी वारंट, अभियान के तहत हुई कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस द्वारा फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीतापुर थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ चोरी एवं हत्या से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय से गिरफ्तारी और स्थायी वारंट जारी था। पुलिस के अनुसार, महेशपुर निवासी पुस्तक दास उर्फ पुष्कर (21 वर्ष) चोरी के एक मामले में न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वहीं हत्या से संबंधित दूसरे प्रकरण में भी पेशी पर उपस्थित नहीं होने के चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। डीआईजी एवं एसएसपी के निर्देश पर जिलेभर में लंबित वारंटों की तामील के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान सीतापुर पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, आरक्षक देवनाथ भगत, अतुल शर्मा एवं धनकेश्वर यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

पुलिस की कथित निष्क्रियता के विरोध में कांग्रेस निकालेगी 'न्याय रैली'

6 जुलाई को थाना चौक से आईजी कार्यालय तक होगा मार्च,सौंपा जाएगा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिला कांग्रेस कमेटी, सरगुजा ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं समर्थकों से जुड़े आपराधिक मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता के विरोध में 6 जुलाई को 'न्याय रैली' निकालने की घोषणा की है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह रैली 6 जुलाई 2026, सोमवार को शाम 3:30 बजे थाना चौक से प्रारंभ होकर आईजी कार्यालय तक जाएगी। रैली के समापन पर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों में पुलिस अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के विरोध में

पार्टी न्याय रैली आयोजित कर प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं,पदाधिकारियों, समर्थकों तथा न्यायप्रिय नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष कानून व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह रैली आयोजित की जा रही है।

नेशनल हाईवे-130 पर भीषण सड़क हादसा,बाइक सवार युवक की मौत

मार्शल वाहन की टक्कर से मौके पर गई जान,चालक वाहन छोड़कर फरार...पुलिस जांच में जुटी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे-130 पर शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रेणुका नदी के पास स्थित राजवाड़े ढाबा के समीप रात करीब 10 बजे हुआ। तेज रफ्तार मार्शल वाहन ने सामने से आ रही अपाचे बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में मृत युवक की पहचान मनोज गोंड (पिता- भीम गोंड), निवासी ग्राम रनहत, थाना प्रतापपुर के रूप में हुई है। हादसे के दौरान उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मार्शल वाहन में चालक सहित कुछ अन्य लोग भी सवार थे और सभी के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना के बाद चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आरक्षक रामकुमार यादव एवं वाहन चालक ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया। रविवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर मृतक की शिनाख्त की गई। इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर लखनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मार्शल वाहन और अपाचे बाइक को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश जारी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है तथा चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

लांची में गिट्टी खनन के दौरान बड़ा हादसा,पहाड़ धंसने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

रविवार सुबह उत्खनन के दौरान हुआ हादसा...मलबे में दबने से दोनों युवकों ने मौके पर तोड़ा दम,अवैध खनन और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

-संवाददाता-
सूरजपुर,05 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत लांची में रविवार सुबह गिट्टी खनन के दौरान हुए भीषण हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह जाने से मलबे में दबकर दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, हादसे की खबर फैलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए, सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची तथा शवों को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान जमुना प्रसाद सिंह (उम्र लगभग 18-19 वर्ष),पिता धनेश्वर सिंह तथा जयपाल सिंह (उम्र लगभग 18-19 वर्ष),पिता जयसिंह के रूप में हुई है। दोनों युवक रविवार सुबह पहाड़ी क्षेत्र में गिट्टी उत्खनन के कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और दोनों युवक भारी मलबे के नीचे दब गए, आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

दोपहर तक गांव में नहीं थी जानकारी, फिर मच गई अफरा-तफरी-बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी गांव के लोगों को करीब दोपहर 12 बजे मिली,सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया,इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई,पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर दोनों युवकों के शव बाहर निकाले गए,शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

इस दर्दनाक हादसे से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कम उम्र में दोनों युवकों की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम दिखाई दी,ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का सहयोग करते थे, उनकी अचानक मौत से परिवारों के सामने आर्थिक और सामाजिक संकट भी खड़ा हो गया है।

खनन कार्य की वैधता पर उठे सवाल

हादसे के बाद क्षेत्र में चल रहे गिट्टी खनन की वैधता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पहाड़ी क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा था,तो क्या उसके लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं खनिज विभाग की अनुमति ली गई थी? साथ ही क्या खनन के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा था? इन सभी बिंदुओं की जांच अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गई है।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं?

खनन कार्य के दौरान पहाड़ का इस तरह अचानक धंस जाना सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है,यदि उत्खनन वैज्ञानिक तरीके से और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किया जाता,तो संभवतः इस प्रकार की दुर्घटना टाली जा सकती थी,विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बिना तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा उपायों के खनन कार्य करना बेहद जोखिम भरा होता है।

पुलिस ने शुरू की जांच-पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, खनन कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा था,क्या उसके लिए वैध अनुमति प्राप्त थी तथा सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं,जांच में यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अवैध खनन सामने आता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग-घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए,ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो,साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता एवं शासन की राहत योजनाओं का लाभ तत्काल उपलब्ध कराने की भी मांग उठने लगी है,यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि जिले में संचालित खनन गतिविधियों की निगरानी कितनी प्रभावी है और क्या सुरक्षा नियमों का पालन वास्तव में सुनिश्चित किया जा रहा है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस दर्दनाक दुर्घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

जेल केवल सजा का नहीं,सुधार और नई शुरुआत का केंद्र बने : कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी

रामानुजगंज जिला जेल का निरीक्षण,कैदियों से किया संवाद कौशल विकास,स्वास्थ्य और सुरक्षा पर दिए अहम निर्देश

-संवाददाता-
बलरामपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने शनिवार को जिला जेल रामानुजगंज का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेल में निरुद्ध कैदियों की संख्या,सुरक्षा व्यवस्था,स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए जेल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि सुधार,पुनर्वास और नई शुरुआत का केंद्र होना चाहिए। कलेक्टर ने विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर कैदियों से सीधे संवाद किया और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, समय पर उपचार तथा बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कैदियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने सकारात्मक सोच अपनाने और खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं और समाचार-पत्र पढ़कर ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, जिससे समाज की मुख्यधारा में लौटने का आत्मविश्वास भी विकसित होगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों की कौशल विकास प्रशिक्षण में रुचि भी जानी। उन्होंने बताया कि जेल में एसी रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग सहित विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे रिहाई के बाद स्वरोजगार या रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। कलेक्टर ने जेल के रसोईघर और साफ-सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों को स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित योगाभ्यास कराने पर भी जोर दिया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जेल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को हमेशा चालू और पूरी तरह कार्यशील रखने के निर्देश दिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। निरीक्षण के अंत में कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि कैदियों के व्यक्तित्व विकास, कौशल संवर्धन और सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार हो सकें।

वाड्रफनगर बायपास की क्षतिग्रस्त सड़क की हुई मरम्मत,बारिश के बाद होगा बिटुमिनस कंक्रीट से स्थायी सुधार

लोक निर्माण विभाग ने कहा...आवागमन सुचारू,परफॉर्मेंस गारंटी के तहत ठेकेदार करा रहा मरम्मत कार्य

-संवाददाता-
बलरामपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

वाड्रफनगर बायपास मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर सामने आई शिकायतों के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि मार्ग पर आवश्यक मरम्मत कार्य करा दिया गया है। बारिश समाप्त होने के बाद सड़क का स्थायी सुधार बिटुमिनस कंक्रीट से किया जाएगा। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के अनुसार, वाड्रफनगर बायपास मार्ग की कुल लंबाई 5.70 किलोमीटर है। इस निर्माण कार्य का ठेका मेसर्स हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी,अंबिकापुर को दिया गया था। कार्यादेश 24 सितंबर 2018 को जारी हुआ था। वन स्वीकृति (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) और भूमि मुआवजे से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय से प्रभावित हुआ और इसकी वास्तविक पूर्णता तिथि 31 मार्च 2026 रही। विभाग ने बताया कि कार्य पूर्ण होने के लगभग तीन माह बाद मार्ग के किलोमीटर 4/6 पर कुछ हिस्सों में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे अनुबंध की परफॉर्मेंस गारंटी के तहत संबंधित ठेकेदार द्वारा तत्काल मरम्मत कर दिया गया। वर्तमान में लगातार बारिश और बिटुमिन सामग्री की अनुपलब्धता को देखते हुए प्रभावित हिस्सों में सीमेंट कंक्रीट मिक्स से पैचवर्क कराया गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रह सके। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, बारिश समाप्त होने के बाद इन्हीं पैचों पर बिटुमिनस कंक्रीट की परत बिछाकर स्थायी मरम्मत कराई जाएगी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण दिवस पर भाजपा ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्र निर्माण,सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत के विचारों को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,05 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण दिवस पर श्रद्धांजलि एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया,इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जनसंघ से भाजपा तक का सफर राष्ट्रवादी विचारधारा की यात्रा-संभागीय संगठन प्रभारी अवधेश चंदेल ने कहा कि वर्ष 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सर्वोच्च बलिदान के बाद जनसंघ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जो आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक संविधान,सांस्कृतिक राष्ट्रवाद,स्वदेशी और एकात्म मानववाद आज भी भाजपा के मूल सिद्धांत हैं,उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद-370 हटाकर डॉ. मुखर्जी के संकल्प को साकार किया गया तथा आत्मनिर्भर भारत का सपना भी तेजी से साकार हो रहा है।

दिल्ली से शुरू हुई विचारधारा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन तक पहुंची-भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल एक राजनीतिक दल की शुरुआत नहीं थी,बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा के सशक्त विकल्प का उदय था,आज भारतीय जनता पार्टी उसी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुकी है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉ. मुखर्जी के विचारों को व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्र की अखंडता के लिए डॉ. मुखर्जी का योगदान अविस्मरणीय-

जिला संगठन प्रभारी ललन प्रताप सिंह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत की अखंडता के प्रतीक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता।

सच्ची श्रद्धांजलि उनके सपनों का भारत बनाना-

विधायक भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि डॉ. मुखर्जी को श्रद्धांजलि केवल उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने से नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैभवशाली भारत के निर्माण से होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना ही उनके जीवन का मूल संदेश था।

जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की रही उल्लेखनीय उपस्थिति-कार्यक्रम में एमसीबी जिला संगठन प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल, केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष जगदीश साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, जिला उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, बसंत राय, राजेश सिंह, अनिल साहू, रविशंकर राजवाड़े, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष आशादेवी सोनपाकर, जिला पंचायत सदस्य शिवकुमारी सोनपाकर, गीता राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल- कार्यक्रम में जिला मंत्री शारदा गुप्ता, जिला कार्यालय मंत्री मंजू जिवनानी, जिला मीडिया प्रभारी तीरथ राजवाड़े, सह सोशल मीडिया प्रभारी राकेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अनिल खटिक, रामलखन यादव, मनेजर राजवाड़े, संजय चिकनजूरी, राजाराम राजवाड़े, दीपा विश्वकर्मा, महामंत्री रवि त्रिपाठी, सचिन मलिक, सुशीला साहू, सच्चिदानंद द्विवेदी, बालकृष्ण देवांगन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवचरण साहू, अजजा मोर्चा जिलाध्यक्ष विमलचंद चेरवा, अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलराज रवि सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डॉ. मुखर्जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और अखंड भारत के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया, वंदे मातरम् एवं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

चार दिन से सड़क किनारे गिरे हैं बिजली के खंभे...फिर भी चालू है सप्लाई

केंवरी गांव में हादसे को खुला न्योता,ग्रामीणों में दहशत,सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा विद्युत विभाग

-संवाददाता-
लखनपुर,05 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केंवरी में विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। गांव में चार दिन पहले गिरे दो बिजली के खंभे अब भी सड़क किनारे पड़े हुए हैं,लेकिन उनसे जुड़े तारों में बिजली का प्रवाह जारी है। खुले में पड़े विद्युत तारों और झुके खंभों के बीच लगातार हो रही बिजली आपूर्ति से ग्रामीणों में किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार,गांव में हाल ही में सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके बाद लगातार हुई बारिश से सड़क किनारे की मिट्टी धंस गई,जिससे दोनों बिजली के खंभे गिरकर सड़क और घरों के पास आ गए। खंभे गिरने के बावजूद विभाग ने न तो बिजली आपूर्ति बंद की और न ही खंभों को हटाकर सुरक्षित व्यवस्था की। गांव के लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से रोजाना बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग आवाजाही करते हैं। ऐसे में बिजली प्रवाहित तारों के बीच आवागमन करना जान जोखिम में डालने जैसा है। बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि हल्की सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना कई बार विद्युत विभाग को दी गई, लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे लोगों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच मनेजर राम ने बताया कि मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। उनके अनुसार विद्युत विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। हालांकि ग्रामीण इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और विद्युत विभाग से तत्काल गिरे हुए खंभों को हटाकर नए खंभे लगाने, क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत करने और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई और कोई हादसा हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

एसपी के संज्ञान से 3 साल बाद मिली राहत, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि

2023 से राजपुर तहसील में लंबित था मामला,सुशासन तिहार में आवेदन के बाद पुलिस अधीक्षक की पहल से मिली आर्थिक सहायता

-संवाददाता-
बलरामपुर,05 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सुशासन तिहार 2026 के दौरान प्राप्त एक लंबित आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर की पहल से तीन वर्षों से राहत राशि का इंतजार कर रहे एक पीड़ित परिवार को आखिरकार 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मिल गई। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बलरामपुर से समन्वय स्थापित किया,जिसके बाद तत्काल राहत राशि स्वीकृत कर दी गई। जानकारी के अनुसार,कोटडीह निवासी 19 वर्षीय संजय कुमार ने सुशासन तिहार के माध्यम से आवेदन देकर बताया था कि उनके पिता स्वर्गीय गोपी राम की 23 मार्च 2023 को पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद चौकी दौरा पुलिस द्वारा पंचनामा,मर्ग इंटीमेशन,पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे। आवेदक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर सभी दस्तावेजों के साथ राहत राशि के लिए राजपुर तहसील कार्यालय में आवेदन भी जमा किया था,लेकिन लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल सकी। सुशासन तिहार के दौरान आवेदन पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के संज्ञान में आने पर उन्होंने तत्काल मामले की समीक्षा कर कलेक्टर बलरामपुर से समन्वय स्थापित किया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराते हुए मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत कराई गई। राशि मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत मिलने पर खुशी जताते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, कलेक्टर बलरामपुर तथा चौकी दौरा पुलिस का आभार व्यक्त किया।

11 खबरें...दर्जनों दस्तावेज...फिर भी शासन-प्रशासन मौन!

आखिर किसके संरक्षण में चल रहा स्टेनो प्रकरण?

- दस्तावेज बोलते रहे...सरकार चुप रही! आखिर किसका है यह अदृश्य संरक्षण?
- आंखों पर पट्टी,कानों में रुई और मुंह पर टेप? आखिर किस संरक्षण में चलता रहा कोरिया का चर्चित स्टेनो प्रकरण?
- 24 साल की प्रतिनियुक्ति,डेढ़ लाख की तनख्वाह,सेवा पुस्तिका,पदोन्नति,वेतन निर्धारण,संविलियन की कोशिश और अब भी जवाब का इंतजार...
- 24 साल का जुगाड़ या प्रशासनिक चमत्कार? 11 खुलासों के बाद भी जवाब नहीं...
- स्टेनो या सुपर सिस्टम? 11 खबरों के बाद भी शासन-प्रशासन ने क्यों नहीं खोली फाइल?
- डेढ़ लाख की तनख्वाह,24 साल की प्रतिनियुक्ति...11 खुलासे,फिर भी कार्रवाई शून्य!
- नियम हार गए या सिस्टम झुक गया? 11 खबरों के बाद भी प्रशासन की चुप्पी बरकरार
- कोरिया का 'सबसे प्रभावशाली स्टेनो' या सिस्टम की सबसे बड़ी चुप्पी?
- प्रतिनियुक्ति से वेतन तक सवाल ही सवाल...11 खबरों के बाद भी शासन बेखबर क्यों?
- स्टेनो प्रकरणः फाइलें खुलती रहीं, सवाल बढ़ते रहे...लेकिन सरकार क्यों नहीं बोली?

स्टेनो प्रकरण : दैनिक घटती-घटना ने लगातार उठाए सवाल, 11 खबरें प्रकाशित... शासन-प्रशासन मौन!

-रवि सिंह-

कोरिया,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। लोकतंत्र में यदि किसी समाचार पत्र द्वारा किसी एक मामले पर एक-दो नहीं बल्कि लगातार 11 समाचार प्रकाशित किए जाएं, आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित किए जाएं, आदेशों की प्रतियां सामने लाई जाएं, प्रतिनियुक्ति से लेकर सेवा पुस्तिका,वेतन निर्धारण, पदोन्नति और संविलियन जैसे गंभीर प्रशासनिक प्रश्न उठाए जाएं, फिर भी शासन और प्रशासन की ओर से न कोई आधिकारिक खंडन आए,न कोई सार्वजनिक जांच की घोषणा हो और न ही तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिया जाए, तो सवाल केवल एक कर्मचारी पर नहीं रह जाता,बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर खड़ा हो जाता है, दैनिक घटती-घटना पिछले कई सप्ताह से इस पूरे प्रकरण के दस्तावेज एक-एक कर सार्वजनिक करता रहा है, हर खबर के साथ नए आदेश,नई फाइलें और नए सवाल सामने आते रहे,लेकिन जितनी तेजी से दस्तावेज सामने आए, उतनी ही गहरी होती गई शासन-प्रशासन की चुप्पी, आज कोरिया जिले में सबसे ज्यादा चर्चा किसी कर्मचारी की नहीं, बल्कि उस चुप्पी की हो रही है।

क्या शासन ने आंखें मूंद ली हैं?

लोग अब व्यंग्य में कहते हैं कि शायद इस मामले में शासन और प्रशासन ने तीन नई सरकारी वस्तुएं खरीद ली हैं–आंखों पर पट्टी...कानों में रुई...मुंह पर टेप...क्योंकि...दस्तावेज सामने आ रहे हैं, आदेश सामने आ रहे हैं, वेतन पर्चियां सामने आ रही हैं, सेवा पुस्तिका सामने आ रही है, प्रतिनियुक्ति के रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यदि प्रकाशित दस्तावेज गलत हैं तो उनका तत्काल खंडन होना चाहिए था, यदि दस्तावेज सही हैं तो फिर कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में से कुछ भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया।

24 साल...और खत्म ही नहीं हुई प्रतिनियुक्ति!- पूरे मामले का सबसे बड़ा प्रश्न प्रतिनियुक्ति है,उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 2000 में संबंधित कर्मचारी मत्स्य महासंघ से जुड़ा था, मध्यप्रदेश पुनर्गठन के बाद उसे छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए,लेकिन उसके बाद वही कर्मचारी वर्षों तक कलेक्टर कार्यालय में कार्य करता रहा, सवाल यह नहीं कि कर्मचारी ने काम किया, सवाल यह है कि प्रतिनियुक्ति आखिर कितने दिन की होती है? सरकारी नियमों में प्रतिनियुक्ति अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन यहां तो प्रतिनियुक्ति ने लगभग 24 वर्ष पूरे कर लिए, अब कर्मचारी ही नहीं, जिले के अधिकारी भी पूछ रहे हैं क्या यह देश की सबसे लंबी प्रतिनियुक्तियों में से एक है?

यह कोई साधारण स्टेनो है या प्रशासनिक 'वीआईपी'?-

जिले में अब लोग मजाक में कहते हैं कि यह कोई साधारण स्टेनो नहीं है, यह ऐसा स्टेनो है जिसके सामने कलेक्टर बदलते रहे...सरकारें बदलती रहीं...लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, लोग यह भी कहते हैं कि शायद सरकारी सेवा नियमों में एक नया अध्याय जोड़ देना चाहिए की विशेष प्रभावशाली स्टेनो सेवा नियमावली, क्योंकि सामान्य कर्मचारी जहां प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर अपने मूल विभाग लौट जाते हैं, वहीं यहां प्रतिनियुक्ति ने दो दशक से भी अधिक समय पूरा कर लिया।

क्या नियम भी वीआईपी और सामान्य हो गए?-

सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि यदि कोई सामान्य कर्मचारी तीन महीने की प्रतिनियुक्ति बढ़वाने की कोशिश करे तो उसे दर्जनों अनुमति पत्र लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहां...वर्ष 2000 से... 2024 तक... व्यवस्था चलती रही, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कौन-सा ऐसा नियम था जो केवल इस मामले में लागू था? या फिर नियम एक तरफ थे और व्यवस्था दूसरी तरफ?

संविलियन का सपना...लेकिन पूरा नहीं हुआ?- दस्तावेज यह भी संकेत देते हैं कि राजस्व विभाग में संविलियन की दिशा में भी प्रयास हुए, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि संविलियन हुआ,यदि संविलियन नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि–जब कर्मचारी मूल विभाग का था तो राजस्व विभाग में उसकी स्थिति किस आधार पर बनी रही? यदि संविलियन नहीं हुआ...तो वेतन किस नियम से बना? यदि संविलियन नहीं हुआ...तो पदोन्नति किस विभाग ने दी? यदि संविलियन नहीं हुआ...तो वार्षिक वेतनवृद्धि किस नियम के अनुसार लगी?

निज सहायक से स्टेनो वर्ग-1 तक...आखिर कैसे?-वर्ष 2000 के दस्तावेजों में कर्मचारी का उल्लेख निज सहायक के रूप में मिलता है,बाद के दस्तावेजों में वही कर्मचारी स्टेनोग्राफर वर्ग-01 के रूप में दिखाई देता है,यहीं से प्रशासनिक प्रश्न और गंभीर हो जाते हैं, क्या पदोन्नति मत्स्य महासंघ के नियमों से हुई? या राजस्व विभाग के नियमों से? या फिर किसी विशेष प्रशासनिक आदेश से? यदि कर्मचारी सहकारिता क्षेत्र का था तो क्या उसके पदोन्नति नियम राजस्व विभाग से अलग नहीं होने चाहिए थे?

आईएएस से भी ज्यादा वेतन?- अब पूरे जिले में सबसे ज्यादा चर्चा वेतन को लेकर है, उपलब्ध वेतन संबंधी जानकारी के अनुसार संबंधित कर्मचारी को लगभग 1.46 लाख प्रतिमाह वेतन-भत्ते मिलने की बात सामने आई है,यहीं से सवालों की दूसरी फाइल खुलती है, कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत सामान्य स्टेनोग्राफरों का वेतन इससे काफी कम बताया जाता है, फिर राजस्व विभाग ने यह वेतन निर्धारित किया? मत्स्य महासंघ ने किया? या किसी अन्य प्राधिकारी ने यदि कर्मचारी मूल रूप से मत्स्य महासंघ का था तो उसका इंक्रीमेंट राजस्व विभाग में कैसे जुड़ता गया?

सेवा पुस्तिका खुली...तो पूरा मामला खुल गया-वर्ष 2024 में मत्स्य महासंघ द्वारा सेवा पुस्तिका और निरंतरता प्रमाण-पत्र मांगने के बाद वर्षों पुरानी फाइलें फिर चर्चा में आ गईं,यहीं से सवाल उठा यदि सेवा पुस्तिका मूल विभाग की थी...तो वर्षों तक रही कहां? वार्षिक सत्यापन किसने किया? चरित्रावली किसने लिखी? छुट्टियां किस विभाग ने स्वीकृत कीं? वार्षिक मूल्यांकन किसके द्वारा हुआ?

24 साल में छुट्टी भी नहीं?-सूत्रों के अनुसार संबंधित कर्मचारी के बारे में यह भी चर्चा है कि उन्होंने वर्षों तक शायद ही कोई अवकाश लिया हो,यदि ऐसा है तो यह भी जांच का विषय है कि सेवा अभिलेखों में अवकाश, अर्जित अवकाश,चिकित्सा अवकाश और अन्य प्रविष्टियां किस प्रकार दर्ज हुईं।

कलेक्टर बदलते रहे...लेकिन व्यवस्था नहीं बदली-पिछले दो दशकों में सरकारें बदलीं...कलेक्टर बदले...कमिश्नर बदले...राजनीतिक नेतृत्व बदला...लेकिन जिस व्यवस्था पर आज सवाल उठ रहे हैं, वह जस की तस बनी रही, यही कारण है कि अब लोग व्यंग्य में कहते हैं– 'कोरिया में मौसम बदलता है...सरकार बदलती है...लेकिन कुछ फाइलें नहीं बदलतीं। '

11 खबरें छपीं...लेकिन कार्रवाई कहां है?- दैनिक घटती-घटना इस पूरे मामले पर लगातार 11 खबरें प्रकाशित कर चुका है,इन खबरों में प्रतिनियुक्ति के दस्तावेज, सेवा पुस्तिका,विभागीय पत्राचार, वेतन संबंधी प्रश्न,पदोन्नति,संविलियन,प्रशासनिक आदेश सभी पहलुओं को सामने रखा गया,लेकिन अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं,कोई सार्वजनिक जांच रिपोर्ट नहीं, कोई तथ्यात्मक खंडन नहीं,यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है?

क्या यह कर्मचारी प्रभावशाली था...या व्यवस्था कमजोर थी?- जिले में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं,कुछ लोग कहते हैं इतने वर्षों तक कोई व्यवस्था बिना मजबूत संरक्षण के नहीं चल सकती, कुछ लोग कहते हैं की यह किसी कर्मचारी का नहीं, पूरे सिस्टम का मामला है,इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि प्रशासनिक चुप्पी ने इन चर्चाओं को और हवा दी है।

अब सवाल केवल स्टेनो पर नहीं...पूरे सिस्टम पर है...

- क्या नियम सबके लिए समान हैं?
- क्या प्रतिनियुक्ति की समय-सीमा का पालन हुआ?
- क्या वेतन निर्धारण नियमानुसार हुआ?
- क्या पदोन्नति वैधानिक थी?
- क्या सेवा पुस्तिका का नियमित सत्यापन हुआ?
- क्या किसी सक्षम अधिकारी ने पूरे प्रकरण की समीक्षा की?

जवाब देना होगा...क्योंकि चुप्पी भी सवाल बन चुकी है...

लोकतंत्र में पत्रकारिता का दायित्व सवाल पूछना है, लेकिन शासन का दायित्व जवाब देना है, दैनिक घटती-घटना ने लगातार दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाए हैं, अब यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट करे, यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप हुआ है तो जनता के सामने तथ्य रखे जाएं, यदि कहीं प्रक्रियागत त्रुटियां हुई हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल किसी कर्मचारी का नहीं, बल्कि शासन की चुप्पी का है, आखिर 11 खबरों के बाद भी सरकार और प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद लीं? क्या यह केवल एक कर्मचारी का मामला है, या फिर ऐसा प्रशासनिक अध्याय, जिसकी फाइल खुलने से कई और परतें सामने आ सकती हैं?

नकली मंगलसूत्र मामला : कांग्रेस नेता की शिकायत को जांच में मिली प्रथम दृष्टया पुष्टि,विभाग की पूर्व प्रेस विज्ञप्ति पर उठे सवाल

कलेक्टर की जांच समिति ने शिकायत को प्रथम दृष्टया सही माना...संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा,कांग्रेस ने विभागीय 'क्लीन चिट' पर उठाए प्रश्न

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वितरित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता को लेकर उठे विवाद में नया मोड़ आ गया है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा द्वारा जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत की जांच में जिला प्रशासन की गठित समिति ने शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाया है, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया और सामग्री वितरण में कई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है, वहीं कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच पूरी होने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में पूरे मामले को निराधार बताया गया था, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरव मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 18 जून 2026 को जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर 10 फरवरी 2026 को विकासखंड खड़गवां के चनवारीडांड स्थित महामाया मंदिर परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वितरित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता की जांच की मांग की थी, शिकायत में कहा गया था कि कार्यक्रम में 184 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था तथा कुछ नवविवाहित महिलाओं ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया था

कि उन्हें चांदी के स्थान पर निम्न गुणवत्ता वाले मंगलसूत्र दिए गए,मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जांच समिति गठित की, कांग्रेस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले को तथ्यहीन बताया गया, जबकि बाद में कलेक्टर द्वारा संचालक को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया कि जांच समिति के अनुसार शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है, कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन और संबंधित दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए विभाग को प्रेषित कर दिए हैं, जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 92 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, प्रत्येक हितग्राही के लिए निर्धारित राशि में उपहार सामग्री हेतु प्रति जोड़ा 7,000 रुपये का प्रावधान था, जिसमें चांदी का मंगलसूत्र भी शामिल था, रिपोर्ट में उल्लेख है कि जिला स्तरीय क्रय समिति ने चांदी का मंगलसूत्र खरीदने तथा प्राथमिकता के आधार पर जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद की अनुशंसा की थी, लेकिन कथित रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जांच रिपोर्ट में सीमित निविदा प्रक्रिया, क्रय समिति के अनुमोदन, सामग्री के भौतिक सत्यापन तथा भुगतान से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियों सहित कई प्रक्रियात्मक कमियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुणवत्ता संबंधी शिकायत मिलने के बाद संबंधित फर्म के भुगतान से प्रति मंगलसूत्र 1,000 रुपये की कटौती कर कुल 1.84 लाख रुपये हितग्राही महिलाओं के खातों में अंतरित किए गए, कांग्रेस का कहना है कि यदि शिकायत पूरी तरह निराधार थी तो भुगतान में कटौती क्यों की गई, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा द्वारा क्रय समिति की अनुशंसाओं की अवहेलना, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने तथा बिना आवश्यक अनुमोदन भुगतान किए जाने का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है, इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला कांग्रेस महामंत्री पूनम सिंह, पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूमा चटर्जी, पार्षद किरण कुजूर, पूर्व पार्षद हमीदा खातून तथा पूर्व महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शोभना वर्मा ने भी जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की जवाबदेही तय करने तथा विभाग द्वारा जांच पूरी होने से पहले जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

आरोप गंभीर,लेकिन सबूत कमजोर,सात साल बाद संजय अग्रवाल को मिली बड़ी राहत

साक्ष्यों के अभाव में संजय अग्रवाल दोषमुक्त

विशेष न्यायालय ने सभी आरोपों से किया बरी...

- अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका,विशेष न्यायालय ने संजय अग्रवाल को दी राहत
- गवाहों के विरोधाभासी बयान और कमजोर साक्ष्य पड़े भारी,विशेष न्यायालय ने आरोपी को किया बरी
- विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक का निर्णय अभियोजन संदेह से परे आरोप सिद्ध नहीं कर सका
- विशेष लोक अभियोजक महेश कुमार शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने रखे अपने-अपने पक्ष

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। लगभग सात वर्षों तक चले बहुचर्चित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े आपराधिक मामले में विशेष न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय अग्रवाल को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक की अदालत ने 30 जून 2026 को 35 पृष्ठों का विस्तृत निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को कानूनन आवश्यक मानक 'संदेह से परे' सिद्ध करने में असफल रहा, इसी आधार पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

2018 की घटना, 2021 में एफआईआर और 2026 में आया फैसला

मामले की शुरुआत 13 दिसंबर 2018 की कथित घटना से हुई थी, प्रार्थी विष्णु सिंह ने 28 जनवरी 2021 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण थाना बैकुंठपुर में शिकायत दर्ज कराई थी,शिकायत में आरोप लगाया गया कि भूमि विवाद को लेकर आरोपी संजय अग्रवाल लगातार दबाव बना रहा था तथा पहले से दर्ज अपराध क्रमांक 131/2017 वापस लेने के लिए धमका रहा था, शिकायत के अनुसार 13 दिसंबर 2018 को थाना पटना क्षेत्र के खाड़ा तिराहा के पास आरोपी अपने साथ 7-8 अन्य लोगों के साथ पहुंचा,रास्ता रोककर मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं तथा जान से मारने की धमकी देते हुए आठ लाख रुपये की रंगदारी मांगी। शिकायत के आधार पर एससी/एसटी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।

इन गंभीर धाराओं में चला मुकदमा

आरोपी संजय अग्रवाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (रास्ता रोकना), 147 (बलवा), 150, 294 (अश्लील गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 384 एवं 386 (जबरन वसूली/रंगदारी), 506 (भाग-बी) (आपराधिक धमकी) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) एवं 3(2)(1a) के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने 10 जुलाई 2023 को आरोप तय किए, जिसके बाद नियमित सुनवाई प्रारंभ हुई।

दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखे विस्तृत तर्क

राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेश कुमार शर्मा ने न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रखा,उन्होंने तर्क दिया कि प्रार्थी,प्रत्यक्षदर्शियों,दस्तावेजी साक्ष्यों,मोबाइल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप संदेशों एवं अन्य साक्ष्यों से आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध होते हैं और उसे दंडित किया जाना चाहिए, वहीं आरोपी संजय अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने बचाव पक्ष की पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा है, शिकायत में विलंब हुआ, गवाहों के बयान परस्पर विरोधाभासी हैं तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आरोपों को प्रमाणित नहीं करते, बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

11 गवाह, 19 दस्तावेज और मोबाइल रिकॉर्ड भी बने सुनवाई का हिस्सा

अभियोजन ने अपने पक्ष में कुल 11 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए, इनमें प्रार्थी विष्णु सिंह, कथित प्रत्यक्षदर्शी,पटवारी,मोबाइल कंपनी के अधिकारी,प्रशासनिक अधिकारी,पुलिस अधिकारी तथा विवेचक शामिल थे,इसके अलावा अभियोजन ने 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें एफआईआर,शिकायत पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थल निरीक्षण नक्शा,मोबाइल नंबरों के कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म,कॉल डिटेल, व्हाट्सएप संदेश,धारा 65-बी का प्रमाण पत्र, जब्ती पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज शामिल रहे, बचाव पक्ष ने किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अभियोजन के साक्ष्यों पर ही सवाल उठाए।

न्यायालय ने तय किए सात महत्वपूर्ण प्रश्न,इनमें यह देखा गया कि...

- क्या वास्तव में आरोपी ने रास्ता रोककर मारपीट की?
- क्या बलवा और हिंसा हुई?
- क्या सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक गालियां दी गईं?
- क्या आठ लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई?
- क्या जान से मारने की धमकी दी गई?
- क्या एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं?
- क्या अभियोजन इन सभी आरोपों को संदेह से परे सिद्ध कर पाया?

साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद अदालत ने माना की अभियोजन कमजोर रहा...

35 पृष्ठों के निर्णय में न्यायालय ने प्रत्येक गवाह, दस्तावेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया, अदालत ने पाया कि गवाहों के बयानों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, घटना के संबंध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण तथा घटनाक्रम में अपेक्षित सामंजस्य नहीं पाया गया, न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर सका कि कथित रंगदारी,जातिसूचक अपमान,मारपीट और धमकी के आरोप कानून की दृष्टि से संदेह से परे सिद्ध होते हैं, आपराधिक मामलों में केवल आरोप या संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, बल्कि प्रत्येक आरोप का ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्यों से प्रमाणित होना आवश्यक है।

भूमि विवाद भी रहा मामले का प्रमुख आधार-

निर्णय में न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से भूमि विवाद एवं अन्य न्यायालयीन प्रकरण लंबित थे, बचाव पक्ष ने इसी आधार पर यह तर्क दिया कि शिकायत पूर्व विवाद की पृष्ठभूमि में की गई है, न्यायालय ने इस पहलू पर भी विचार करते हुए संपूर्ण साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और अंतिम निष्कर्ष निकाला।

न्यायालय का अंतिम आदेश- विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को कानून द्वारा अपेक्षित स्तर तक सिद्ध नहीं करते, इसलिए आरोपी संजय अग्रवाल को भारतीय दंड संहिता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सभी आरोपित धाराओं से दोषमुक्त किया जाता है। साथ ही आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा की अवधि का समायोजन भी दर्ज किया गया है।

सात वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया

- 13 दिसंबर 2018 – कथित घटना।
- 28 जनवरी 2021 – एससी/एसटी थाना बैकुंठपुर में एफआईआर दर्ज।
- 08 फरवरी 2021 – आरोपी की गिरफ्तारी।
- 05 अप्रैल 2021 – जमानत।
- 22 नवंबर 2021 – चालान न्यायालय में प्रस्तुत।
- 10 जुलाई 2023 – आरोप तय।
- 04 अक्टूबर 2023 – गवाहों के बयान प्रारंभ।
- 29 जून 2026 – निर्णय सुरक्षित।
- 30 जून 2026 – विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया।

महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य

इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय ने घटना के होने या न होने पर अंतिम टिप्पणी की है, न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अभियोजन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध 'संदेह से परे' सिद्ध नहीं कर सका, इसलिए आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। यही इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी आधार है।

हल्का पटवारी पर नक्शे में कथित फेरबदल कर भूमि का स्वरूप बदलने का आरोप

कलेक्टर से शिकायत,बिना सक्षम आदेश राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का दावा,निष्पक्ष जांच की मांग

-संवाददाता-

बैकुंठपुर/कोरिया,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बैकुंठपुर तहसील अंतर्गत ग्राम चेर के एक किसान ने हल्का पटवारी पर राजस्व नक्शे में कथित रूप से फेरबदल कर उसकी भूमि का स्वरूप बदलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन कर मूल नक्शे से छेड़छाड़ की गई है। शिकायतकर्ता बीरेंद्र चंद्र, पिता स्वर्गीय बुधराम, निवासी ग्राम चेर ने अपने आवेदन में बताया है कि उसकी संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि खसरा क्रमांक 48/10 पर वर्षों से कब्जा एवं काश्त है तथा पूर्व में इसका नक्शा राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, उनका आरोप है कि वर्तमान में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से आसपास के नक्शे में फेरबदल कर उनकी भूमि का मूल नक्शा बदल दिया गया है,जबकि ऐसा कार्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश

के बिना नहीं किया जा सकता,आवेदन के अनुसार,शिकायतकर्ता के पास वर्ष 2023 का उपलब्ध नक्शा और वर्तमान नक्शे में अंतर दिखाई देता है, उनका दावा है कि पुराने नक्शे में दर्ज सीमाओं और वर्तमान नक्शे में दर्शाई गई स्थिति में बदलाव किया गया है,जिससे उनकी भूमि की वास्तविक स्थिति प्रभावित हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी भूमि का नक्शा हटाकर दूसरे खसरे को दर्शा दिया गया है, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में हल्का पटवारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आवेदन में एक पूर्व राजस्व आदेश का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसमें शिकायतकर्ता की भूमि के नक्शे में परिवर्तन का कोई निर्देश नहीं था, इसके बावजूद नक्शे में बदलाव कर दिया गया, शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, मूल राजस्व अभिलेखों और वर्तमान नक्शे का मिलान कराया जाए तथा यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन शिकायत की जांच कर क्या तथ्य सामने लाता है और राजस्व अभिलेखों में कथित फेरबदल के आरोपों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

सरकारी मदद मिले तो करौंदामुड़ा बन सकता है बकरी पालन का हब

हर चार में से तीन परिवार बकरी पालन से चला रहे आजीविका,पशुपालन विभाग की योजनाओं का नहीं मिला लाभ

करीब 1400 की आबादी वाले गांव में 300 परिवारों में से अधिकांश बकरी पालन से जुड़े, ग्रामीणों ने प्रशिक्षण, नस्ल सुधार, दवा और शेड निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने की उठाई मांग...

-ओंकार पांडेय-

सूरजपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। विकासखंड भैयाथान की ग्राम पंचायत करौंदामुड़ा आज अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभर रही है, करीब 1400 की आबादी और लगभग 300 घरों वाले इस गांव में हर चार में से तीन परिवार बकरी पालन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं, किसी के पास पांच बकरियां हैं तो किसी के पास 50 से 100 तक। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण बिना किसी सरकारी सहायता या योजना का लाभ लिए वर्षों से इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पशु चिकित्सा विभाग की योजनाएं गांव तक पहुंचें तो करौंदामुड़ा पूरे जिले में बकरी पालन के हब के रूप में विकसित हो सकता है।

रोजगार के सीमित साधनों ने बनाया बकरी पालन को जीवन का आधार-कभी ग्राम पंचायत बड़सरा का आश्रित गांव रहा करौंदामुड़ा आज भी मूलभूत विकास की राह देख रहा है, स्वतंत्र पंचायत बनने के बाद भी रोजगार के बड़े अवसर गांव में उपलब्ध नहीं हो सके, खेती के साथ अतिरिक्त आय के साधन सीमित होने के कारण ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और अनुभव के बल पर बकरी पालन को ही आय का मुख्य स्रोत बना लिया, आज गांव के अधिकांश परिवार इसी व्यवसाय से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

चारे और चरागाह की कमी के बावजूद नहीं टूटा हौसला-ग्रामीण बताते हैं कि गांव में शासकीय चरागाह भूमि लगभग समाप्त हो चुकी है, जिससे पशुओं के लिए चारे की समस्या बनी रहती है, इसके बावजूद लोगों ने निजी प्रयासों से बकरी पालन जारी रखा है, गांव में पेयजल के लिए अभी भी बोरवेल और कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1.25 करोड़ रुपये की लागत से पानी की टंकी तो बनाई गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वह अब तक उपयोग में नहीं आ सकी और केवल शोपीस बनकर रह गई है, हालांकि पंचायत क्षेत्र से बहने वाला कोल्हूआ नाला ग्रामीणों और पशुओं के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है।

यदि सरकार साथ दे तो बदल सकती है गांव की तस्वीर- ग्रामीणों का मानना है कि यदि पशुपालन विभाग नस्ल सुधार, टीकाकरण, पशु चिकित्सा सुविधा, चारा विकास, शेड निर्माण तथा स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराए तो करौंदामुड़ा न केवल सूरजपुर जिले बल्कि पूरे सरगुजा संभाग में बकरी पालन का आदर्श मॉडल बन सकता है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पलायन भी कम होगा।

सरपंच रश्मि सत्या सिंह का बयान-करौंदामुड़ा के लोगों ने बिना किसी सरकारी सहायता के बकरी पालन को आजीविका का मजबूत साधन बनाया है, गांव के अधिकांश परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं,लेकिन पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिल पाया, यदि शासन प्रशिक्षण, बेहतर नस्ल की बकरियां, टीकाकरण, दवाइयां और शेड निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए तो हमारा गांव पूरे जिले में बकरी पालन का मॉडल बन सकता है, हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि करौंदामुड़ा को विशेष योजना के तहत विकसित किया जाए, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़े और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले।

उपसरपंच मोहम्मद महमूद अंसारी का बयान-करौंदामुड़ा में बकरी पालन केवल व्यवसाय नहीं,बल्कि सैकड़ों परिवारों की आजीविका का आधार बन चुका है,ग्रामीण अपने संसाधनों से मेहनत कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं,लेकिन पशुपालन विभाग की ओर से न प्रशिक्षण मिला, न नस्ल सुधार,न दवाइयों और न ही किसी योजना का लाभ, यदि विभाग गांव में शिविर लगाकर हितग्राहियों का चयन करे और योजनाओं का लाभ दिलाए तो करौंदामुड़ा निश्चित रूप से बकरी पालन का हब बन सकता है, इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पलायन पर भी रोक लगेगी।

सरपंच रश्मि सत्या सिंह

उपसरपंच मोहम्मद महमूद अंसारी

बकरी पालक किसान जितेंद्र सिंह

किसान नेता रक्षेन्द्र प्रताप सिंह

बकरी पालक किसान जितेंद्र सिंह का बयान- 'हम वर्षों से अपने परिवार की आजीविका के लिए बकरी पालन कर रहे हैं, बिना किसी सरकारी सहायता के मेहनत और अनुभव के आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया है, गांव में अधिकांश परिवार बकरी पालन से जुड़े हैं, लेकिन आज तक पशुपालन विभाग की किसी योजना का लाभ नहीं मिला,यदि सरकार अच्छी नस्ल की बकरियां,टीकाकरण, दवाइयां,प्रशिक्षण,चारा विकास और शेड निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए तो हमारी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है, करौंदामुड़ा में बकरी पालन की अपार संभावनाएं हैं और उचित सरकारी सहयोग मिलने पर यह गांव पूरे जिले में बकरी पालन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। '

किसान नेता ने जिला प्रशासन से की पहल की मांग- क्षेत्र के किसान नेता रक्षेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग से मांग की है कि करौंदामुड़ा में विशेष अभियान चलाकर इच्छुक हितग्राहियों को बकरी पालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए,उन्होंने कहा कि गांव में पहले से ही लोगों की रुचि और अनुभव मौजूद है,केवल सरकारी सहयोग की आवश्यकता है,यदि विभाग गंभीरता से पहल करे तो करौंदामुड़ा को 'बकरी पालन हब' के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह गांव ग्रामीण स्वरोजगार का सफल मॉडल बनकर सामने आएगा।

61 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर खान
मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने थामा गौरी स्प्रैट का हाथ

आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने आज 5 जुलाई को इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली है,जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं।
आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में अपनी लंबे समय की पार्टनर गौरी स्प्रैट से शादी कर ली है। दो साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे इस कपल ने रविवार को अपने परिवारों और करीबी दोस्तों के बीच शादी की रस्में पूरी कीं।

प्राइवेट सेरेमनी में एक हुए आमिर और गौरी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट अब आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हैं। इस प्राइवेट सेरेमनी में परिवार के सदस्य शामिल हुए, जिनमें आमिर की पिछली शादियों से हुए उनके बच्चे भी शामिल थे।

ये सितारे हुए शादी में शामिल

शादी शुरू होने से पहले, आमिर की बेटी इरा खान और बेटे जुनैद खान को एक्टर के घर पहुंचते हुए देखा गया। लगान फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और एक्ट्रेस एली अवराम भी इस जश्न में शामिल होते हुए दिखे।

आमिर और गौरी लव स्टोरी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली मुलाकात लगभग 25 साल पहले हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता 2024 में तब शुरू हुआ जब वे आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए बेंगलुरु में दोबारा मिले, जहां गौरी उस समय रह रही थीं। इस कपल ने लगभग एक साल तक लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में समय बिताया, जिसके बाद मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान आमिर ने गौरी को मीडिया के सामने अपनी पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया।

आमिर की पर्सनल लाइफ

आमिर खान की पहली शादी 1993 में रीना दत्ता से हुई थी। कपल के दो बच्चे हैं-जुनैद खान और इरा खान। यह कपल लगभग 16 साल तक साथ रहा और 2002 में अलग हो गया। वहीं उनकी दूसरी शादी 2005 में किरण राव के साथ हुई। 2011 में सरोगेसी के जरिए इस कपल का बेटा आजाद राव हुआ। शादी के लगभग 16 साल बाद, 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने का फैसला किया।
हालांकि, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वे अच्छे दोस्त बने रहेंगे,आजाद की परवरिश मिलकर करेंगे और साथ में प्रोफेशनल तौर पर भी काम करते रहेंगे।

इंटीमेट सीन सिर्फ काम का हिस्सा,निजी जिंदगी से नहीं जोडऩा चाहिए : सिंपल कौल

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री सिंपल कौल अपने दमदार अभिनय के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी पहचानी जाती हैं। शरारत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कई लोकप्रिय टीवी शोज में अपनी अलग पहचान बना चुकीं सिंपल इस बार इंटीमेट सीन्स और रिश्तों को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि किसी अभिनेता का स्क्रिप्ट की मांग पर किसिंग या इंटीमेट सीन करना सिर्फ उसके पेशे का हिस्सा है। इसे निजी जिंदगी या रिश्तों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सिंपल कौल ने कहा, अभिनय एक पेशा है और इस पेशे में कलाकारों को कहानी की जरूरत के अनुसार अलग-अलग तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। अगर किसी स्क्रिप्ट में किसिंग सीन या कोई अन्य इंटीमेट सीन जरूरी है, तो अभिनेता उसी के अनुसार अपना काम करते हैं। ऐसे सीन को निजी जिंदगी से जोडऩा सही नहीं है,क्योंकि कलाकार उस समय केवल अपने किरदार को निभा रहे होते हैं। दर्शकों को यह समझना चाहिए कि कैमरे के सामने जो दिखाई देता है, वह कहानी का हिस्सा होता है,न कि कलाकार की निजी जिंदगी। सिंपल कौल ने अपने निजी जीवन का उदाहरण देते हुए भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा,अगर मेरे पति को किसी फिल्म या शो में ऐसे कोई सीन करना पड़े, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। एक रिश्ते में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है। अगर दोनों लोगों के बीच विश्वास मजबूत है, तो ऐसे सीन्स से रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि,उन्होंने आगे कहा,पेशेवर काम और निजी रिश्तों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते के बाहर किसी और के साथ संबंध बनाता है, तो वह पूरी तरह गलत है। काम के लिए कैमरे के सामने किया गया अभिनय और असल जिंदगी में किसी के साथ रिश्ता बनाना एक जैसा नहीं है। दोनों बातों की तुलना करना सही नहीं है।
सिंपल कौल ने कहा, चीटिंग का कोई दूसरा अर्थ नहीं

होता। धोखा आखिर धोखा ही होता है। अगर दो लोग एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते के प्रति पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए। किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जब यह भरोसा टूटता है, तो रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है।
उन्होंने आगे कहा, यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा होता है या रिश्ते में कोई परेशानी आती है, तो उसे छिपाने के बजाय अपने साथी से खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार लोग सच बताने से बचते हैं, जिससे बाद में गलतफहमियां और बड़े विवाद पैदा होते हैं। इसलिए रिश्ते में बातचीत बनाए रखना और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से साझा करना बेहद जरूरी है।

धमाल 4 में रिलीज से पहले किए ये 9 बदलाव

अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी ड्रामा अपने साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी को उनके यादगार किरदारों में वापस ला रही है। रिलीज से पहले, निर्माताओं ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के हवाले किया था। बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दिखाकर पास तो कर दिया है, लेकिन काफी सारे बदलाव के निर्देश भी दिए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक,सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ संशोधन करने के बाद इसे पास किया है। फिल्म में 2 जगहों पर हाथ या उंगलियों द्वारा अश्लील इशारे शामिल थे, जिन्हें बोर्ड ने संशोधित और प्रतिस्थापित करने के लिए कहा है। इसके अलावा, फिल्म में 7 अलग-अलग जगहों पर गाली-गलौज, गंदे या द्विअर्थी संवाद बोले गए थे। इन संवादों को म्यूट या उनकी जगह कोई अच्छा शब्द डालने का आदेश दिया गया है।
बोर्ड ने धमाल 4 को यू/ए 13+ प्रमाणपत्र देकर पास किया है, जिसका अर्थ है कि 13 साल से ज्यादा उम्र वाले दर्शक इसे बिना किसी संकोच के देख सकेंगे। प्रमाणपत्र में कुल अवधि 143.00 मिनट बताई गई है। इस हिसाब से फिल्म की लंबाई 2 घंटे 23 मिनट होगी। इस बार फिल्म में रवि किशन, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, उपेंद्र लिमये और विजय पाटकर नए चेहरे बनकर शामिल हुए हैं। यह 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

लिस्सी ने बेटी कल्याणी के साथ प्रियदर्शन के डायरेक्टेड ऐड में शानदार वापसी की

सिल्वर स्क्रीन से लंबे अंतराल के बाद अभिनेत्री लिसी कैमरे के सामने वापसी कर रही हैं। उनकी वापसी को कल्याण ज्वैलर्स के नवीनतम विज्ञापन द्वारा चिह्नित किया गया है। बेहद उल्लेखनीय बात यह है कि विज्ञापन का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। विज्ञापन में अनुभवी अभिनेता प्रभु गणेशन के साथ लिसी और प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन भी शामिल हैं। इस बहुप्रतीक्षित पुनर्मिलन ने पहले से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह की भारी लहर पैदा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार है जब लिसी 1988 में प्रतिष्ठित फिल्म चित्राम की रिलीज के बाद प्रियदर्शन के निर्देशन में अभिनय कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगभग चार दशकों के बाद होने वाला यह दुर्लभ और रचनात्मक पुनर्मिलन, फिल्म प्रेमियों के लिए बहुत खुशी लाएगा।

बॉक्स ऑफिस पर अल्फा के आगे नहीं चला बेबी डू डाई डू का जादू, हुमा कुरैशी की फिल्म ने किया निराश,आलिया भट्ट ने मारी बाजी

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 और पठान जैसी पिछली ब्लॉकबस्टर के बाद अब इसकी पहली महिला-प्रधान फिल्म अल्फा 03 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसी दिन हुमा कुरैशी की बेबी डू डाई डू ने भी दस्तक दी, लेकिन इसका ओपनिंग डे कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा। 2024 में जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है तब से ही फैंस के बीच आलिया भट्ट की एक्शन-थ्रिलर को लेकर काफी उत्साह था। हालांकि, रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिले है और इसका असर फिल्म की ओपनिंग डे की परफॉर्मेंस पर भी दिखा रहा है। वहीं बेबी डू डाई डू ने तो उम्मीद से भी कम कमाई की। सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार अल्फा ने भारत में अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9 करोड़ की कमाई की। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन लगभग 10.80 करोड़ रहा, जबकि विदेशी बाजारों से इसने लगभग 5 करोड़ कमाए। इस तरह पहले दिन इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन लगभग 15.80 करोड़ रहा। देश भर में 7,534 शो के साथ रिलीज हुई अल्फा को सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया। ज्यादा स्क्रीन और रिलीज से पहले फिल्म को लेकर बनी चर्चा के बावजूद, इसकी ओपनिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पहले दिन के कलेक्शन के आधार पर यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।

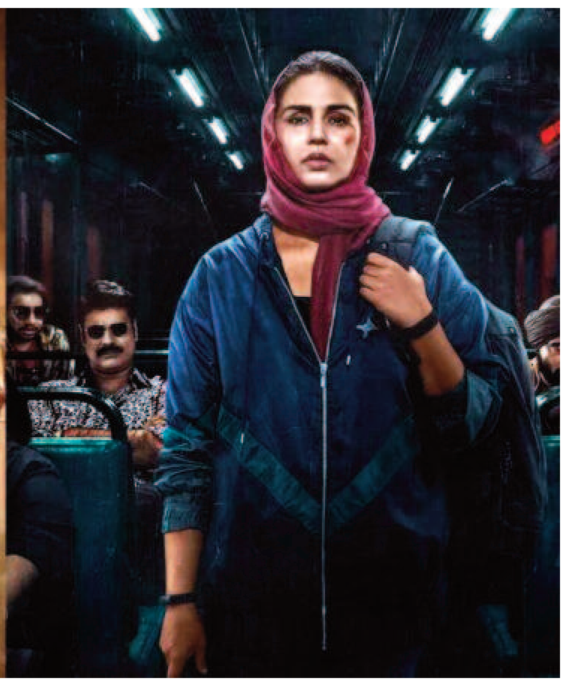

खेल समाचार

डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद भी 5 रेसलर्स ने हासिल की बड़ी सफलता

नई दिल्ली,05 जुलाई 2026। सबसे बड़ी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दुनिया को एक बढ़कर एक सुपरस्टार दिए हैं। यहां सफलता हासिल कर नाम और शोहरत कमाना हर रेसलर का सपना होता है। हालांकि कुछ सितारे ऐसे भी रहे जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किसी ने दूसरी रेसलिंग कंपनी में नाम कमाया, तो किसी ने हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई।

द रॉक (ड्वेन जॉनसन)

द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। रेसलिंग छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और मौजूदा समय में हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं। जुमांजी, फास्ट एंड फ्यूरियस और मोआना जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। अब उनकी पहचान सिर्फ रेसलर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े अभिनेता के रूप में भी है।

डेव बतिस्ता

डेव बतिस्ता ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद अभिनय पर पूरा ध्यान दिया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स का किरदार निभाकर उन्होंने दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद ड्यून और ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार काम किया। आज बतिस्ता हॉलीवुड के सबसे सफल पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स में शामिल हैं।

जॉन मोक्सली (जोनाथन डेविड)

जॉन मोक्सली को डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीन एम्ब्रोज के नाम से जाना जाता था। 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर एईडब्ल्यू यानि ऑल एलीट रेसलिंग में शामिल हुए। वहां उन्होंने कई बड़े मुकाबले जीते और कई बार वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके अलावा उन्होंने जापान की रेसलिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया। मौजूदा समय में वे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल रेसलर्स में गिने जाते हैं।

एज (एडम कोपलैंड)

एडम कोपलैंड का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिंग नेम एज है। लंबे समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े स्टार रहे। डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद उन्होंने भी जॉन मोक्सली की तरह एईडब्ल्यू का रुख किया और वहां भी कई बड़े मुकाबलों का हिस्सा बने। उम्र बढ़ने के बावजूद उन्होंने साबित किया कि वे मौजूदा समय में भी रिंग के सबसे दमदार रेसलर्स में शामिल हैं।

मर्सिडीज मोने (साशा बैंक्स)

साशा बैंक्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद मर्सिडीज मोने नाम से नई शुरुआत की। उन्होंने जापान और एईडब्ल्यू जैसी बड़ी रेसलिंग कंपनियों के साथ जुड़कर शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया और अपनी लोकप्रियता को दुनिया भर में बढ़ाया। वे महिला रेसलिंग की सबसे चर्चित सुपरस्टार्स में गिनी जाती हैं।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम एक्सपोजर टूर के लिए बेल्जियम रवाना

बेंगलुरु,05 जुलाई 2026। 24 सदस्यों वाली भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेल्जियम के अपने एक्सपोजर टूर के लिए रवाना हुई। इस टूर के मुकाबले 7 से 17 जुलाई तक खेले जाने हैं। नए हेड कोच फ्रेडरिक सोयेज के मार्गदर्शन में भारतीय जूनियर टीम एशिया कप और अन्य अहम इंटरनेशनल टूर्नामेंटों की तैयारियों के तहत यूरोप दौरे पर छह मैच खेलेगी। इस दौरे में भारत ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ दो-दो मुकाबले खेलेगा, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगा। इनमें से पांच मुकाबले बेल्जियम के वावरे स्थित बेल्फियस हॉकी एरिना में आयोजित होंगे, जबकि अंतिम मैच एंटवर्प के हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाएगा। यह यूरोप दौरा कोच फ्रेडरिक सोयेज के नेतृत्व में भारतीय जूनियर टीम का पहला विदेशी दौरा होगा। इसके साथ ही, यह इस साल के अंत में होने वाले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान टीम को मजबूत यूरोपीय देशों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे खिलाडिय़ों को इंटरनेशनल स्तर का अनुभव हासिल होगा। वहीं, कोचिंग स्टाफ को टीम के संयोजन और खेल की रणनीति को परखने तथा जूनियर एशिया कप से पहले अंतिम तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
डिफेंडर अनमोल एक्का को एक्सपोजर टूर के लिए कप्तानी सौंपी गई है। गोलकीपिंग यूनिट में विवेक लाकड़ा और कुणाल तेवतिया शामिल हैं। डिफेंसिव लाइन में कप्तान अनमोल एक्का, रोहित कुल्लू, चिराग, रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत तिर्की और वी. मणिमारन हैं।
मिडफील्ड में अदरोहित एक्का,हरपाल,जीतपाल,मुकेश टोप्पो,मन्नू मलिक और ऋतिक लाकड़ा होंगे। फॉरवर्ड लाइन में अजीत यादव,प्रभदीप सिंह,अर्जुन हरगुडे,आर्यन जेस,लवनूर सिंह,मोहम्मद कोनैन दाद और गुरुसेवक सिंह शामिल हैं। खास बात यह है कि टीम के चार सदस्य–अनमोल एक्का,अदरोहित एक्का,अजीत यादव और रोहित कुल्लू–उस भारतीय टीम का भी हिस्सा थे जिसने एफआईएच मेंस जूनियर वर्ल्ड कप तमिलनाडु 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

टीम:–
गोलकीपर:– विवेक लाकड़ा, कुणाल तेवतिया
डिफेंडर:–अनमोल एक्का,रोहित कुल्लू,चिराग,रविंदर,प्रशांत बारला,संजीत तिर्की,वी.मणिमारन
मिडफील्डर:– अदरोहित एक्का,हरपाल,जीतपाल,मुकेश टोप्पो,मन्नू मलिक,ऋतिक लाकड़ा
फॉरवर्ड :–अजीत यादव,प्रभदीप सिंह,अर्जुन हरगुडे,आर्यन जेस, लवनूर सिंह,मोहम्मद कोनैन दाद, गुरुसेवक सिंह।

CMYK

लीगल नोटिस प्रकरण:

समाचार एवं जवाब की पूरी जिम्मेदारी अब विशेष प्रतिनिधि रवि सिंह के पास

1 जुलाई 2026 को प्रापत हुआ मानहानि का लीगल नोटिस

- समाचार से जुड़े सभी तथ्य, दस्तावेज, दस्तावेजों का परीक्षण और विधिक जवाब रवि सिंह के माध्यम से प्रस्तुत होंगे
- नोटिस का विधिसम्मत उत्तार निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयार किया जाएगा
- अविरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण भी निष्पक्ष परीक्षण के बाद शामिल होंगे

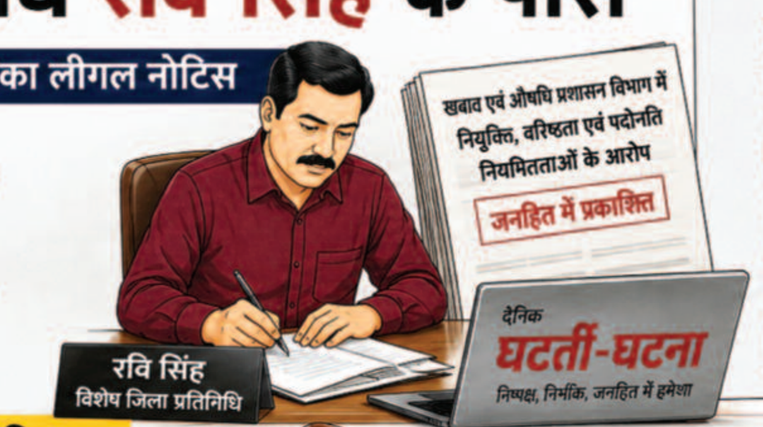

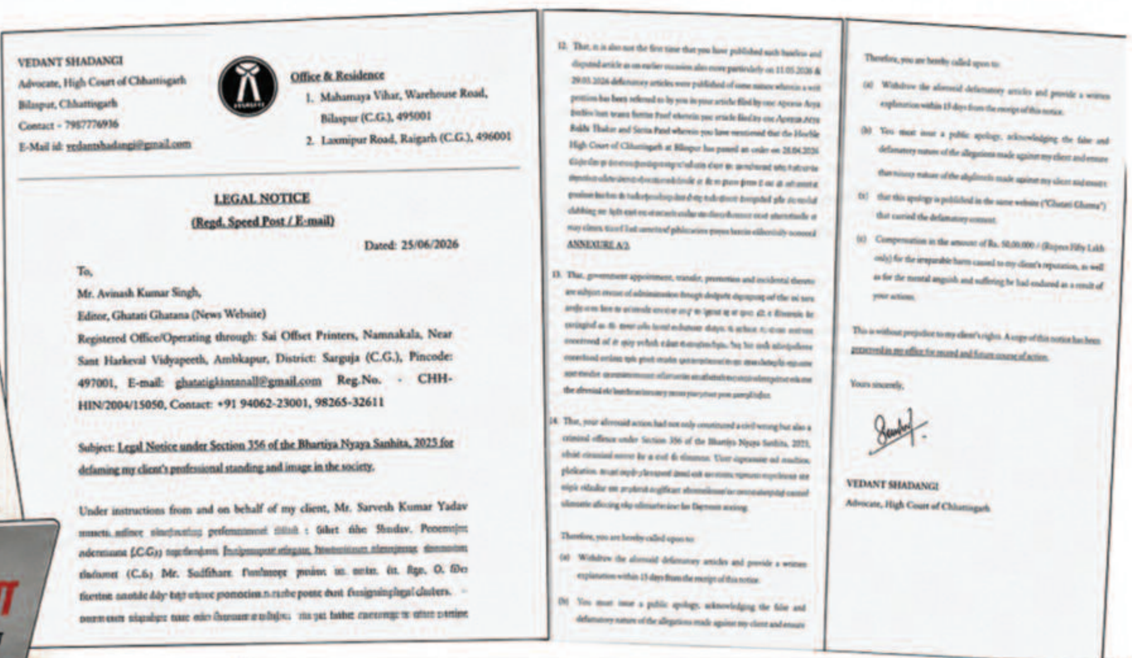
VEDANT SHADANGI
Advocate, High Court of Chhattisgarh
Bilaspur, Chhattisgarh
Contact - 7987776936
E-Mail id: vedantshadangi@gmail.com

Office & Residence
1. Mahamaya Vihar, Warehouse Road, Bilaspur (C.G.), 495001
2. Laxmipur Road, Raigarh (C.G.), 496001

LEGAL NOTICE
(Regd. Speed Post / E-mail)

Dated: 25/06/2026

To,
Mr. Avinash Kumar Singh,
Editor, Ghatati Ghatana (News Website)
Registered Office/Operating through: Sai Offset Printers, Namnakala, Near Sant Harkeval Vidyapeeth, Ambikapur, District: Sarguja (C.G.), Pincode: 497001, E-mail: ghatatigkhatanall@gmail.com Reg.No. - CHH-HIN/2004/15050, Contact: +91 94062-23001, 98265-32611

Subject: Legal Notice under Section 356 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 for defaming my client's professional standing and image in the society.

Under instructions from and on behalf of my client, Mr. Sarvesh Kumar Yadav ...

हिंदी अखबार को अंग्रेजी में लीगल नोटिस, क्या अपनी ही बात पर भरोसा नहीं?

हम निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

आगे इस मामले से संबंधित कोई भी तथ्यात्मक जानकारी, स्पष्टीकरण या आधिकारिक प्रतिक्रिया केवल रवि सिंह के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी।

नोटिस मिला,जवाब भी मिलेगा...तथ्यों और दस्तावेजों के साथ

हिंदी खबर पर अंग्रेजी में नोटिस! अब विधिक जवाब की जिम्मेदारी रवि सिंह के पास...

1 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ मानहानि का लीगल नोटिस,समाचार से जुड़े सभी तथ्य,दस्तावेज और विधिक जवाब रवि सिंह के माध्यम से प्रस्तुत होंगे

लीगल नोटिस के बाद दैनिक घटती-घटना का निर्णय,एक प्रतिनिधि संभालेगा पूरा प्रकरण

-न्यूज डेस्क-
अंबिकापुर/रायपुर 05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की नियुक्ति, वरिष्ठता एवं पदोन्नति संबंधी समाचारों के प्रकाशन के बाद दैनिक घटती-घटना को प्राप्त मानहानि के लीगल नोटिस के संबंध में समाचार पत्र प्रबंधन ने आगे की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है,1 जुलाई 2026 को लीगल नोटिस प्राप्त होने के बाद इस प्रकरण से संबंधित समाचारों के तथ्यात्मक संकलन,दस्तावेजों के परीक्षण, संबंधित पक्षों से समन्वय तथा नोटिस के विधिक जवाब की संपूर्ण जिम्मेदारी दैनिक घटती-घटना के विशेष जिला प्रतिनिधि रवि सिंह को सौंपी गई है। समाचार पत्र प्रबंधन के अनुसार अब इस पूरे प्रकरण से जुड़े सभी तथ्य,अभिलेख, दस्तावेज,विभागीय पत्राचार,संबंधित शिकायतें,जांच से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड तथा लीगल नोटिस का विस्तृत जवाब रवि सिंह के माध्यम से तैयार कर संबंधित अधिवक्ता एवं आवश्यक मंचों पर प्रस्तुत किया जाएगा, बताया गया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि पूरे मामले में एक ही अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से तथ्यात्मक और दस्तावेज आधारित जवाब प्रस्तुत किया जा सके तथा समाचारों से संबंधित सभी जानकारी सुव्यवस्थित रूप से संकलित की जा सके,प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि समाचारों का प्रकाशन जनहित से जुड़े विषयों पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर किया गया था,प्राप्त लीगल नोटिस का विधिसम्मत उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयार किया जाएगा,इसके लिए सभी प्रकाशित समाचार,उपलब्ध अभिलेख, संबंधित शिकायतें,न्यायालयीन कार्यवाहियों से जुड़े दस्तावेज तथा विभागीय रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है,प्रबंधन ने यह भी कहा कि यदि संबंधित अधिकारी,विभाग अथवा उनके अधिवक्ता कोई अतिरिक्त दस्तावेज, स्पष्टीकरण या तथ्य उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो उनका भी निष्पक्ष परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उन्हें भी उत्तर का हिस्सा बनाया जाएगा, इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि आगे इस मामले से संबंधित कोई भी तथ्यात्मक जानकारी,स्पष्टीकरण, दस्तावेजी उत्तर अथवा आधिकारिक प्रतिक्रिया विशेष जिला प्रतिनिधि रवि सिंह के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी,इसी माध्यम से लीगल नोटिस का जवाब तैयार कर अधिवक्ता को प्रेषित किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर संबंधित न्यायिक अथवा प्रशासनिक मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाएगा,समाचार पत्र प्रबंधन ने दोहराया कि वह निष्पक्ष,तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकरण में भी प्रत्येक कदम विधिक सलाह और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उठाया जाएगा,साथ ही यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में इस विषय से संबंधित कोई नया तथ्य या आधिकारिक दस्तावेज सामने आता है, तो उसका भी निष्पक्ष परीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया जाएगा।

हिंदी अखबार को अंग्रेजी में लीगल नोटिस, क्या अपनी ही बात पर भरोसा नहीं?

दैनिक घटती-घटना एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है,इसकी प्रत्येक खबर हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है और इसके पाठक भी मुख्यतः हिंदी भाषी हैं,ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब विवाद एक हिंदी समाचार के प्रकाशन को लेकर है,तब उसका लीगल नोटिस अंग्रेजी भाषा में क्यों भेजा गया? यदि नोटिस भेजने वाले पक्ष को वास्तव में समाचार के तथ्यों पर आपत्ति थी,तो क्या यह उचित नहीं होता कि जिस भाषा में समाचार प्रकाशित हुआ,उसी भाषा में नोटिस भेजा जाता ताकि समाचार पत्र,उसके पाठक और संबंधित सभी पक्ष बिना किसी भाषाई बाधा के उसे समझ सकें? यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि न्यायसंगत संवाद और प्राकृतिक न्याय का भी विषय है, हिंदी समाचार पत्र को अंग्रेजी में नोटिस भेजना यह भी दर्शाता है कि संवाद की अपेक्षा कानूनी दबाव बनाने का प्रयास अधिक दिखाई देता है, दैनिक घटती-घटना का मानना है कि यदि किसी समाचार पर आपत्ति है तो उसका तथ्यात्मक उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाना चाहिए जिसमें समाचार प्रकाशित हुआ है। इसलिए हम यह अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में यदि कोई संवाद या स्पष्टीकरण दिया जाए तो वह हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे पूरे मामले को आम नागरिक और पाठक भी समझ सकें।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला...सिर्फ 'लास्ट सीन' से हत्या साबित नहीं की जा सकती

-संवाददाता-
बिलासपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के मामलों में 'लास्ट सीन थ्योरी' की कानूनी सीमा को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने कहा है कि केवल इस आधार पर कि आरोपी और मृतक को घटना से पहले एक साथ देखा गया था,किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला बिना किसी संदेह के आरोपी की ओर स्पष्ट रूप से संकेत न करे, तब तक दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने रायपुर जिले के सिलतरा में वर्ष 2016 में हुए एक हत्या मामले में आरोपी बेनीराम उर्फ छोटू बघेल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने उसके खिलाफ निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को भी निरस्त कर दिया। मामले के अनुसार,21 अप्रैल 2016 की रात सिलतरा गांव में आरोपी बेनीराम और मृतक रहमुद्दीन उर्फ मोनू को साथ बैठकर शराब पीते हुए देखा गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दोनों के

बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद बेनीराम ने रहमुद्दीन को जमीन पर गिराकर पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में आरोपी के कथित मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद किया गया था। हालांकि मामले में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह की मौजूदगी नहीं थी, जिससे मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। सत्र न्यायालय ने वर्ष 2017 में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य विवाद 'लास्ट सीन थ्योरी' पर आधारित था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी और मृतक को अंतिम बार साथ देखा गया था, जिससे अपराध की कड़ी जुड़ती है। लेकिन अदालत ने पाया कि जिस गवाह के बयान पर यह सिद्धांत आधारित था, वह अपने पहले के बयान से मुकर गया और होस्टाइल हो गया। इस कारण 'लास्ट सीन' का दावा विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं हो सका। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि केवल अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत अपने आप में हत्या सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी, सुसंगत और संदेह से परे आरोपी की संलिप्तता स्थापित नहीं करती, तो दोषसिद्धि कानूनन टिकाऊ नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि अभियोजन पक्ष पूरे मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उसे दोषमुक्त किया जाता है। यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होते हैं।

अदालत ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है और दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है। इस निर्णय के बाद कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 'लास्ट सीन थ्योरी' के आधार पर चल रहे कई मामलों में अभियोजन को अब और मजबूत साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता होगी। केवल साथ देखे जाने का तथ्य अब हत्या के मामलों में पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा।

नकटी मामले में कांग्रेस झूठा नैरेटिव गढ़कर अराजकता फैलाना चाहती है : अनुराग सिंहदेव

-संवाददाता-
रायपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव गढ़ने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित 66 कब्जाधारियों के पुनर्वास का त्वरित निर्णय लेकर उन्हें नवा रायपुर के सेक्टर-30 में आवास उपलब्ध कराया है, जहां पहले से करीब 1200 परिवार सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सिंहदेव ने कहा कि नकटी गांव को पूरी तरह उजाड़े जाने का दावा तथ्यहीन है। उनके अनुसार गांव की कुल आबादी 2110 है तथा वर्ष 2022 के पटवारी प्रतिवेदन में केवल लगभग तीन हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप

लगाया कि इसके बाद भी शासकीय भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा किया गया।

उन्होंने दावा किया कि कई कब्जाधारियों ने हजारों वर्गफीट शासकीय भूमि पर कब्जा कर पक्के मकान बनाए थे। उनके मुताबिक दो लोगों के पास 29-29 हजार वर्गफीट, पांच लोगों के पास 17-17 हजार वर्गफीट और 20 लोगों के पास 10-10 हजार वर्गफीट तक भूमि पर कब्जा था। उन्होंने इसे सामान्य अतिक्रमण नहीं बल्कि संगठित अतिक्रमण बताया। अनुराग सिंहदेव ने कांग्रेस के उस आरोप को भी खारिज किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधायक आवास निर्माण के लिए की गई। उन्होंने कहा कि विधायक आवास के लिए भूमि चयन का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों की समिति करती है। वर्तमान में संबंधित भूमि राजस्व विभाग के अधीन है और किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इस भूमि को सामान्य आवास योजना के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया था। ऐसे में कांग्रेस विधायक यदि इस मुद्दे पर पत्र लिखना चाहते हैं तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन मंत्री मोहम्मद अकबर को लिखना चाहिए।

डिप्टी सीएम साव की बड़ी घोषणा
सभी जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों में लगेगी डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा...

-संवाददाता-
रायपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

देश के पहले उद्योग मंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को अक्षुण्ण रखने राज्य के संभागीय और जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा के अनुपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ऐसे 32 नगरीय निकायों में डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा लगाने 10 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाने और इसके परिसर के सौंदर्याकरण के लिए 5 संभागीय मुख्यालयों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के लिए 50-50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं जिला मुख्यालय वाले 27 नगरीय निकायों के लिए 30-30 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जिला मुख्यालय वाले नगरीय निकायों में 4 नगर निगम और 23 नगर पालिका शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। उप मुख्यमंत्री श्री साव की घोषणा के बाद विभाग ने तत्परता दिखाते हुए नगरीय निकायों में मूर्ति स्थापना के लिए राशि स्वीकृति के प्राविधिक आदेश जारी कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ विस का मानसून सत्र 13 जुलाई से
विधायकों ने लगाए 1033 सवाल,उठेंगे कई गंभीर मुद्दे

-संवाददाता-
रायपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के लिए विधायकों ने कुल 1033 सवाल लगाए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पहले ही संकेत दे चुकी है कि किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

कानून-व्यवस्था पर होगा घमासान : पांच दिन के इस मसनसून सत्र में विपक्ष के तेवर आक्रामक रहने के संकेत हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।

विपक्ष का सबसे बड़ा हमला प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर होने की संभावना है। हाल के दिनों में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नशे के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है।

किसानों के मुद्दों पर नोकझोंक : मानसून सत्र में किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, धान खरीदी की तैयारियों और कृषि से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा जाएगा। विपक्ष का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नकटी भूमि विवाद भी बनेगा बड़ा राजनीतिक मुद्दा

रायपुर के नकटी गांव में भूमि अधिग्रहण, बेदखली और विधायक कॉलोनी के प्रस्तावित निर्माण को लेकर चल रहा विवाद भी सदन में गूंज सकता है। हाल ही में भाजपा सांसद ने भी विस्थापन की कार्रवाई पर अपनी ही सरकार से सवाल उठाए, जिससे मामला और राजनीतिक हो गया है।राजनीति

बिजली-पानी और मानसून पर भी होगी चर्चा

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, पेयजल संकट, स्कूलों से जुड़े विवादित फैसले तथा मानसून के दौरान बाढ़, जलभराव और राहत कार्यों की स्थिति भी विपक्ष के एजेंडे में शामिल है। हाल की बारिश और आपदा प्रबंधन को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जा सकता है।

सीक्रेट टिप मिलते ही पकड़ाया 1 करोड़ का गांजा...बस्तर के रास्ते हो रही थी तस्करी,यूपी का तस्कर गिरफ्तार

-संवाददाता-
जगदलपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर बस्तर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप से 215 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1.07 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से एक सफेद बोलेरो पिकअप में गांजा लेकर 2 लोग जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। इसके बाद धनपुंजी फॉरेस्ट नाका पर नाकाबंदी कर वाहनों की

जांच शुरू की गई। इसी दौरान शनिवार देर रात संदिग्ध बोलेरो पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में रखी 9 प्लास्टिक बोरियों से 105 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कुल वजन 214.300 किलोग्राम था। पुलिस ने गांजे के साथ बोलेरो पिकअप, एक सैमसंग मोबाइल और 700 रुपए कैश भी जब्त किया है। वाहन रुकते ही उसमें सवार एक व्यक्ति जंगल की ओर भाग निकला। ड्राइवर को मौके पर पकड़ लिया गया। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी विजय पांडेय (34) के रूप में हुई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)